मंजरी

स्त्री के मन की

जुलाई, 2015 अंक 5

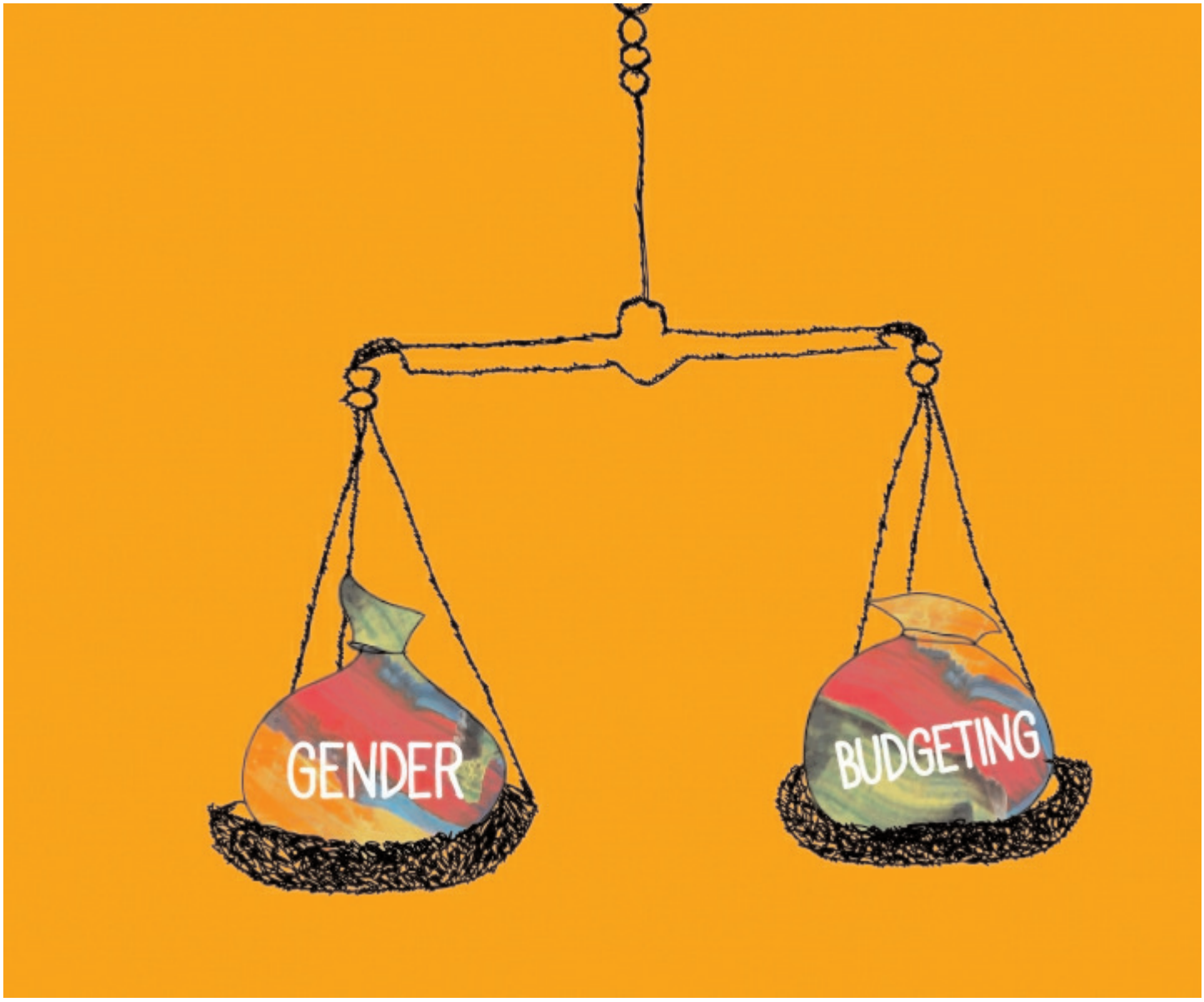

न कम न ज्यादा, सिर्फ आधा-आधा

दूध से हमने किया तैयार
हंसता-खेलता बिहार
सुधा
श्वेत समृद्धि
COMFED
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
-mail : comfed.patna@gmail.com,
www.sudha.coop

सुधा
का नया UHT एलेकस्टर दूध पैक, बिना फ्रिजिंग
रहे अब 90 दिन तक, शुद्ध और ताजा
काटो खोलो पियो
₹43
₹22
₹23
₹10
Sudha
सुधा हल्दी
FRESHNESS & PURITY
100% SAFE
PRESERVED
No preservatives added
नजदीकी सुधा बूथ पर उपलब्ध
Preservation
90 Days
Without Refrigeration
COMFED
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
www.sudha.coop

Sudha
An alliance
with healthy life
UHT Milk
Dairy Whitener
Dahi
Lassi & mattha
Flavoured milk & Honey
Ice-Cream
Herb & Sonapapdi
Pouch Milk
Rasgulla, Gulabjamun & Peeshakhi
Ghee & Table butter
Cheese & Paneer
Gift Pack & Kalakand
Bihar/Jharkhand's No.1 Dairy brand
Sudha
सेहत, स्वाद, अनगिनत खुशियाँ
COMFED
BIHAR STATE MILK CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.
E-mail: comfed.patna@gmail.com, Website: www.sudha.coop
SHAPAD

ये दूध नही दम है,
पियो जितना कम है।
Sudha
Best
Brand
Best
Milk
सेहत,स्वाद,अनगिनत खुशियाँ
COMFED
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.
E-mail : comfed.patna@gmail.com
www.sudha.coop

लाखों महिलाओं को
आत्मनिर्भर बनाने
में कॉम्फेड का योगदान
COMFED
बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि.

संकल्पना

इक्विटी फाउंडेशन लंबे अरसे से एक वेब पत्रिका शुरू करने के बारे में सोच रहा था। मकसद था महिला और समाज के मुद्दों को शिद्दत से उठाना। जब हमने चीजों को एक साथ कर उसे पत्रिका के रूप में सजाने के बारे में सोचना शुरू किया तो इस क्रम में कई लोगों से जुड़े। हमने महिलाओं को पत्रिका से जोड़ने की कोशिश की। हम दोस्तों से मिले और परिचितों से बात की। महिलाओं के सामाजिक समूहों और शिक्षाविदों के एक साथ जुड़ने के बाद जो स्वरूप सामने आया वह है 'मंजरी'।

मंजरी यानी कोंपल। शाखों में फूटने वाली नन्ही पत्तियां। नई शाखों का सृजन करने वाले इन कोंपल को कुम्हलाने से बचाना जरूरी है नहीं तो पूरे पेड़ का विस्तार कुंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह स्त्री के मन की मंजरी को सहेजने की जरूरत है वरना पेड़रूपी समाज विकृति का शिकार हो जाएगा। हमारा प्रयास इसी मंजरी को पुष्पित पल्लवित करने का है जो औरत की सोच और उसकी कोशिश को सही दिशा प्रदान कर सके।

मंजरी के सृजन के दौरान पहले तो 10-30 लोगों का एक ढीला-ढाला समूह बना। विचार आते गए। अलग-अलग विषयों और अलग-अलग मुद्दों पर। समूह में कुछ अनमनी महिलाएं थीं तो कुछ सहानुभूति दिखाने वाले पुरुष भी। कुछ महज एक या दो बैठकों में शामिल हुए तो कुछ जब मन में आया, आ गए। बाकी बचे लोगों ने 'मंजरी' को मुकाम तक ले जाने का दायित्व अपने कंधों पर लिया। 'मंजरी' का लक्ष्य एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां बुद्धिजीवियों को उनकी खुराक मिले तो शोधकर्ताओं की जिज्ञासा शांत हो। क्रियान्वयन के लिए बहस और तर्क के रास्ते हमेशा खुले रहें। इक्विटी की लगातार कोशिश रही है शोध और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को पाटना। ऐसे में हमारा मानना है कि शोध तब तक अप्रासंगिक हैं जब तक कि इनका लोगों की जिंदगी और उनके क्रियाकलापों से जुड़ाव न हो। ठीक इसी तरह सिविल सोसाइटी के तौर पर अगर हम जमीनी सच्चाई से वाकिफ न रहें, जिनमें सामाजिक प्रक्रियाएं और ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश है और जो समाज में रहने वाले लोगों के मूल्यों और उनके चरित्र को आकार देते हैं, तो किसी भी कोशिश का कोई मतलब नहीं बनता है।

'मंजरी' एक उद्यम है, क्रियाशीलता को शोध आधारित रचना और आलोचना के नजरिये से देखने का जो महिला अधिकारों के साथ-साथ जीवन के हर पहलू को इंगित करे। नियमित गैर सरकारी संगठनों और अकादमिक तंत्रों से इतर 'मंजरी' राजनीति और आदर्शवादिता को लांघ कर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों को सांस्कृतिक संवेदनशीलता के आधार पर मापती है। 'मंजरी' उन तमाम कार्यकर्ताओं, विद्वानों, शिक्षाविदों, पत्रकारों, प्रोफेशनल, गृहणियों और नीति निर्धारकों द्वारा पढ़ी जाएगी जो किसी समस्या के लिए समाधान आधारित नवीन दृष्टि और पृथक सोच रखते हैं। यह पत्रिका अपने पाठकों को जेंडर आधारित मुद्दों को जैविक और सामाजिक आधार पर परखने की छूट देती है। व्यक्ति और समाज की विचारधारा में जेंडर को लेकर क्या बदलाव आये और उनका क्या असर हुआ, इसकी पूरी पड़ताल करने की आजादी लोगों को होगी। यह पत्रिका एक कोशिश है पड़ताल की प्रवृत्ति को जगाने की ताकि लोग तेजी से बदलते और विविधताओं से भरे समाज में पूरी क्षमता से काम करने को तैयार हो सकें जिसमें महिलाओं के प्रति भेदभाव भी एक अहम मुद्दा होगा। महिला समानता और अधिकारों पर 'मंजरी' के दखल से उन बेशुमार कार्यकर्ताओं, संगठनों और विद्वजनों को फायदा होगा जो दहेज, यौन प्रताड़ना, महिला अधिकारों, महिला आरक्षण, आर्थिक सुधार और अल्पसंख्यक समुदायों के निजी कानूनों में रुचि रखते हैं।

पत्रिका का मकसद

इक्विटी फाउंडेशन खुद को सुविधाविहीन महिलाओं को उनकी पूर्ण क्षमता से अवगत कराने और समाज में उनके क्रियाशील प्रभुत्व को स्थापित कराने की दिशा में वाहक के तौर पर देखता है। देश के विकास के हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी की राष्ट्रीय नीति तभी सफल हो पाएगी जब महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान को कमतर आंकने वाले संस्थान और विचारों को हतोत्साहित किया जाये या उनका पूरी तरह सफाया किया जाय। 'मंजरी' की परिकल्पना समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के जीवन और उनके स्तर को प्रभावित करने वाले विचारों के निर्माण, विकास और उनके प्रसार के लिए की गई है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के परिप्रेक्ष्य में समानता संबंधी मुद्दों को इस प्रकार समग्र रूप में देखने की जरूरत है जो असमानता की अंतरवर्गीय विशेषताओं को जाहिर कर सके। समानता पर आधारित 'मंजरी' के ज्यादातर आलेख भिन्न-भिन्न समूहों को निशाने पर रखते हैं जो कुछ हद तक बेहद जरूरी भी है। इसलिए यह पत्रिका कुछ समूहों के कुछ विशेषाधिकारों के पूर्ण निष्कासन और अंतरवर्गीय दृष्टिकोणों के स्थापन के बीच नियंत्रक की भूमिका में होगी जो नीति निर्धारण और योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान असमानता को उसके तमाम स्वरूपों के साथ सामने रखने में कारगर होगी। ऐसे में इसका मकसद लैंगिक भेदभाव के निर्मूलन की ओर वह विवेचनात्मक चर्चा छेड़ने का है जो वर्तमान परिदृश्य में शोधों का एजेंडा तय कर सके और एक बेहतर वैकल्पिक प्रस्ताव का सृजन कर सके। अब तक यह संगठन कार्यशाला, कांफ्रेंस और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के जरिये अपनी प्रतिबद्धता दर्शाता रहा है लेकिन अब इस पत्रिका के माध्यम से यह क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अतिथि लेखकों, जिनमें विद्वजन, अधिवक्ता, सरकार, पत्रकार, फिल्म निर्माता, कवि और सामाजिक कार्यकर्ता है, को जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

संपादकीय

संरक्षण

पद्मश्री डा. उषा किरण खान
प्रख्यात लेखिका एवं साहित्यकार

मणिकांत ठाकुर
प्रख्यात पत्रकार

डा. रेणु रंजन
प्रोफेसर (सेवा.), समाज शास्त्र
पटना विवि

प्रो. डेजी नारायण
प्रोफेसर, इतिहास, पटना विवि

परामर्श

मनीष कुमार
ब्यूरो चीफ, एन.डी.टी.वी. बिहार

कीर्ति
परियोजना प्रबंधक, महिला सामाख्या, बिहार

डा. शरद कुमारी
समाज सेविका

अंजिता सिन्हा
पत्रकार

डा. मधुरिमा राज
लेखिका

मंजरी का यह अंक विभिन्न सेक्टरों में लागू जेंडर रिस्पांसिव बजट पर केंद्रित है। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की जरूरतों और उनकी प्राथमिकताओं को आज भी कई देशों में नजरअंदाज किया जाता है। यह अंक बताता है कि किस तरह बजट विश्लेषण, लगातार ध्यान केंद्रित करने और सही दिशा में प्रसार से महिलाओं के उत्थान के सरकार के प्रयासों को सफलता मिल सकती है।

1980 के दशक में आस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश बना जिसने केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर 'महिला बजट' को अपनाया लेकिन इस विषय पर वैश्विक जागरूकता 1995 में बीजिंग प्लेटफार्म एक्शन (बीपीएफए) के साथ आई जिसमें कहा गया " सरकारों को क्रमबद्ध रूप से यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि निजी सेक्टरों में होने वाले खर्चों का लाभ महिलाओं को किस तरह मिलता है। साथ ही अपने यहां के बजटों को इस तरह बनाना चाहिए कि उसका लाभ समान रूप से सबको मिलता रहे।" वर्ष 2006 तक विश्व में जेंडर बजट की दिशा में 60 से अधिक पहल की जा चुकी थीं। बीजिंग घोषणापत्र और बीपीएफए को 15 साल पहले महिलाओं पर आधारित चौथे वर्ल्ड कांफ्रेंस में अपनाया गया जिसके बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार की उम्मीद जगने लगी। लेकिन तमाम प्रगति के बाद भी स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव की रिपोर्ट आती रही जिससे यह पता लगता रहा कि अभी भी लड़कियां और महिलाएं अपने कितने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। कई मामलों में तो भोजन, ईंधन और वित्तीय संकट ने महिलाओं को समानता प्रदान करने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को झटका दिया है।

अंतरराष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर वीमेन, कॉमनवेल्थ और यूरोपीय यूनियन आदि ने विश्व के तमाम देशों को जेंडर सेंसिटिव बजट लागू करने के लिए प्रेरित किया है। इसके परिणामस्वरूप पिछले दशक में कई देशों ने अपने यहां जेंडर बजट लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। पत्रिका का यह अंक जेंडर बजट के बारे में पूरा ब्योरा देता है और बताता है कि जेंडर बजट क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या है, इसकी मशीनरी क्या है और सांसदों व जनप्रतिनिधियों की जेंडर बजट को लागू करने और उसे प्रोत्साहित करने में क्या भूमिका होनी चाहिए।

अर्थशास्त्री बजट को एक जेंडर निरपेक्ष विषय के रूप में देखते हैं जिसमें महिला और पुरुष का कोई जिक्र किये बिना केवल वित्तीय मामलों की चर्चा होती है। लेकिन बजट जेंडर निरपेक्ष नहीं होता बल्कि वह जेंडर ब्लाइंड होता है जो राशि आवंटित करने के समय स्त्री और पुरुष का भेदभाव नहीं करता है। वो दोनों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और क्षमताओं को अलग-अलग नहीं देखता है और न ही दोनों की आर्थिक और सामाजिक विभेदताओं पर ध्यान देता है। उदाहरण के लिए आयकर में कमी होने का महिला और पुरुष प्रधान परिवारों पर अलग-अलग प्रभाव होता है क्योंकि महिलाएं आय के मामले में पुरुषों से पीछे होती हैं। जेंडर बजट के क्षेत्र में गंभीरता से काम कर चुकीं अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रोंडा शार्प बताती है "सरकार की महिलाओं की समानता के प्रति प्रतिबद्धताओं और नीतियों एवं कार्यक्रमों की रूपरेखा में काफी अंतर होता है।" जेंडर बजट एक ऐसा बजट है जो सरकार के खर्चों, आवंटन और राजस्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ऐसे में इसे एक ऐसे तंत्र के रूप में भी देखा जा सकता है जो सरकार को उसकी प्रतिबद्धताओं के प्रति जवाबदेह बनाता रहे।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेंडर बजट अवैतनिक देखभाल अर्थव्यवस्था के लिए सरकार को सक्रिय बनाने का एक हथियार भी है। यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जो घरेलू और आवासीय

हमारी बात

मुख्य संपादक

नीना श्रीवास्तव

संपादन

दीपिका

शोध

नीना श्रीवास्तव
दीपिका

प्रबंधन/व्यवस्था

राहुल कुमार

प्रकाशन

इक्विटी फाउंडेशन

सहयोग

सुधा डेयरी
बंसल ट्यूटोरियल, पटना
जीवक हार्ट हॉस्पीटल, पटना
केनरा बैंक
भूषण इंटरनेशनल, पटना
सेज पब्लिकेशन
द ऑफसेटर, पटना

संपर्क

123 ए, पाटलीपुत्र कॉलोनी
पटना, 13
फोन : 0612-2270171
ई-मेल
equityasia@gmail.com
magazinemanjari@gmail.com

सेक्टर में कई तरह के देखभाल संबंधी दायित्वों को निभाती है। स्वैच्छिक, गैर सरकारी संगठन और अनौपचारिक सेक्टर इसके तहत आ सकते हैं। जब सरकार अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लागत में कमी करती है तो अक्सर वैतनिक सेक्टर से अवैतनिक सेक्टर को जाने वाले फंड पर रोक लगा देती है। ऐसे में महिलाएं जो पहले से ही बच्चों, बूढ़ों और बीमार लोगों की सेवा करने और अन्य तरीके से अवैतनिक क्रियाओं को निभाती आ रही हैं उन पर सरकार के इस फैसले का अतिरिक्त बोझ आ जाता है।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम के संस्थापक और एक्जेक्यूटिव चेयरमैन क्लॉज श्वॉब ने लैंगिक भेदभाव पर अपने अध्ययन में पाया कि " स्त्री और पुरुष के बीच का यह भेदभाव न केवल दुनिया की आधी आबादी में पाये जाने वाले गुणों की अनदेखी करता है बल्कि राष्ट्रों की दीर्घकालिक प्रगति को भी बाधित करता है। जो देश अपने मानव संसाधन का पूरा इस्तेमाल नहीं करता है वह अपने देश की क्षमताओं और विकास से समझौता करता है।" लैंगिक असमानता पुरुषों, महिलाओं, लड़के और लड़कियों सभी के लिए महंगा है जो निम्न उत्पादकता, प्रतियोगितात्मकता और बेहतरी की कमी में परिलक्षित होता है। एक्जेटर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और जेंडर रिस्पांसिव बजट विशेषज्ञ डायेन एल्सन के मुताबिक " अगर महिलाओं का संसाधनों पर नियंत्रण ज्यादा हो तो इससे अंततः समाज को भी ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर लैंगिक भेदभाव बरकरार रही तो नुकसान पूरे समाज को उठाना होगा।" सच्चाई ये है कि किसी भी समाज में महिलाओं का इस्तेमाल ज्यादा लिया जाता है फिर चाहे वह वैतनिक क्षेत्र हो, अवैतनिक या सेवादाता। यह असंतुलन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हर क्षेत्र में मौजूद है जिसका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। मैक्रो इकोनोमिक व्यवस्था में बजट ऐसा होना चाहिए जो महिलाओं के अत्यधिक इस्तेमाल होने पर रोक लगा सके। जेंडर सेसिंटिव बजट होने पर महिलाओं और पुरुषों के बीच की असमानता को समझा जा सकेगा और इसे दूर करने के लिए संसाधनों का संतुलित आवंटन किया जा सकेगा। क्योंकि सही मायने में विकास तभी हो पाएगा जब महिला और पुरुष को एक ही तराजू में तौला जाएगा और जेंडर बजट इसके लिए सबसे सटीक तरीका है। इसकी ओर कदम बढ़ाने वालों में आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और फिलीपीन्स सबसे आगे रहे थे। भारत ने भी आठवीं पंचवर्षीय योजना से इसकी ओर ध्यान देना शुरू कर दिया था। पत्रिका का यह अंक जेंडर बजट को महिला सशक्तीकरण की दिशा में प्रभावकारी तंत्र के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है।

नीना श्रीवास्तव

अतिथि संपादक

लैंगिक समानता, लैंगिक एकरूपता और महिला सशक्तीकरण बहुधा बड़े शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे, यूनाइटेड नेशन्स, वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय यूनियन तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारों की नीतियों और एजेंडा में शामिल होते हैं। ठीक इसी समय दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां सामाजिक एवं लैंगिक न्याय मिलने की बात अभी भी दूर की कौड़ी बनी हुई है। वो भी तब जबकि इन देशों की सरकारों ने 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पा लेने की प्रतिबद्धता जताई है। आंकड़े लगातार इस बात की गवाही देते रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा गरीबी में हैं, उन्हें घरेलू और यौन हिंसा का शिकार पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होना पड़ता है और उन्हें पुरुषों के समान शिक्षित होने या राज्य, अर्थव्यवस्था या मीडिया जैसे क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर पहुंचने का अवसर बेहद कम मिलता है। हां, यह जरूर है कि अब पहले की तुलना में सरकार और नागरिक समाजों में महिलाएं यदा-कदा नजर आने लगी हैं, रोजगार के अवसरों में स्त्री और पुरुष के बीच की खाई थोड़ी कम होने लगी है और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं सिर उठाने लगी हैं लेकिन गहराई से देखा जाय तो समानता अभी भी मिली नहीं है।

वैतनिक रोजगार में भागीदारी से कई मायनों में सशक्तीकरण आई है लेकिन घरेलू श्रमिकों के प्रति मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। वो भी तब जबकि श्रम बाजार पहले से ज्यादा असुरक्षित और केंद्रीकृत बन चुका है। ऐसे में विरोधाभास साफ नजर आता है, जहां एक ओर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर नीतियां बनाई जा रही हैं वहीं दूसरी ओर, समाज की सोच में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर लैंगिक समानता की दिशा में बाधाएं क्या हैं और उनसे निकलने के रास्ते क्या हो सकते हैं ?

हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अच्छे प्रशासन पर रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और राजनीतिक अधिकारों के प्रसार पर ताकि समाज के वंचित और हाशिये पर के लोगों की आवाज सुनी जा सके। लेकिन इसके साथ ही समावेशीकरण और राज्यों को अधिक जवाबदेह बनाने के नाम पर कई महत्वाकांक्षाओं को कम करके आंका जा रहा है जिसके कारण हकीकत में इन लक्ष्यों को पाना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि लैंगिक समानता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा नीतियों, विचारों और कार्यों पर नव उदारवाद और बाजारवाद का हावी होना है।

पिछले दिनों में नव उदारवाद मॉडल में भी कुछ सुधार देखने को मिला है। जैसे कि गरीबी और देशों के बीच आंतरिक एवं बाहरी भेदभाव को मान्यता दी जाने लगी है। इसके बाद भी व्यापार और वित्तीय उदारवादिता तथा सख्त मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियां बाजार को तय कर रही हैं। नव उदारवाद अपने साथ कई ऐसी आर्थिक नीतियों को लाता है जिनका सामाजिक रूप से उपेक्षित वर्गों और महिलाओं पर विपरीत असर पड़ता है। पहला, मैक्रो इकोनोमिक नीतियों में अपस्फीतिकर पूर्वाग्रह, जो पब्लिक सेक्टर में खर्च और निम्न आर्थिक विकास का कारण बनता है। दूसरा, आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है जो बाजार में उतार-चढ़ाव का वाहक बनता है और इससे अर्थव्यवस्था अस्थिर होती जाती है। तीसरा, व्यापार उदारीकरण की वजह से बड़े उत्पादकों को सब्सिडी मिलने के कारण घरेलू कृषकों को नुकसान उठाना पड़ता है। और अंत में उपरोक्त सभी कारणों की वजह से राज्यों की धन जुटाने की क्षमता पर असर पड़ता है।

नव उदारवादी नीतियों की वजह से जब भी सरकार अनुत्पादक सुविधाओं में कटौती करती है-जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण-तब महिलाएं ही अपने काम से उस रिक्तता को भरने की कोशिश करती हैं लेकिन दुख इस बात का है कि उनके कामों को मान्यता नहीं दी जाती है। ऐसे में इस छुपे हुए योगदान को बाहर लाना एक चुनौती है। इस दिशा में जेंडर बजट अच्छी मदद कर सकता है। यह इस बात को उजागर करता है कि किस प्रकार एक मैक्रो इकोनॉमी दिखने में तो अच्छा, तकनीकी और जेंडर निष्पक्ष लगता है लेकिन वास्तव में यह पूरी तरह पक्षपाती होता है। जेंडर बजट इस बात को भी बताता है कि किस तरह सरकार की नीतियां महिलाओं, पुरुषों, लड़कों और लड़कियों पर अलग-अलग प्रभाव छोड़ती हैं। नीति निर्धारकों को वे एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं क्योंकि जेंडर बजट से तकनीकी तथ्य और आंकड़े अपने सही स्वरूप में सामने आ पाते हैं। जेंडर बजट का प्रसार हो रहा है और करीब 50 देश अपनी आर्थिक नीतियों में जेंडर बजट को किसी न किसी रूप में शामिल करते है।

डायेन पेरॉन्स

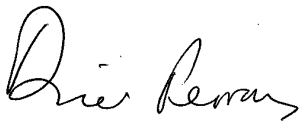

प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं जेंडर स्टडीज
निदेशक, जेंडर इंस्टीच्यूट
लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स (एलएसई), यूके

अनुक्रमणिका

संकल्पना

हमारी बात

- संपादकीय

अतिथि संपादक

अवधारणा

- जेंडर बजट : बस नजरिये का फर्क

प्रयास

ग्लोबल - ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई थी दुनिया को राह

देश में - पंचवर्षीय योजनाओं में जेंडर बजट

बिहार में - बिहार में जेंडर बजट
अरविन्द चौधरी

जानकारी

- क्या है जेंडर बजट सेल

अफसोस

- जेंडर बजट सेल के साथ ही भेदभाव

विश्लेषण

- जेंडर के लिए बजट को छानें
  निर्मला बनर्जी व मैत्रेयी कृष्णराज
- बजट 2015-16 : हाशिये पर महिलाएं
  विभूति पटेल
- जेंडर नीतियों को बजट आवंटन में बदलना
  रितु दीवान

रोचक

- बजट की कुछ रोचक जानकारियां

पहल

- दुनिया भर की औरतों के साथ चलें कदम दर कदम
- मिसाल बना केरल

स्रोत : गुगल.कॉम, हिन्दुस्तानटाइम्स.कॉम, विकीपीडिया, जेंडर & बजट (इक्विटी फाउंडेशन)

अवधारणा

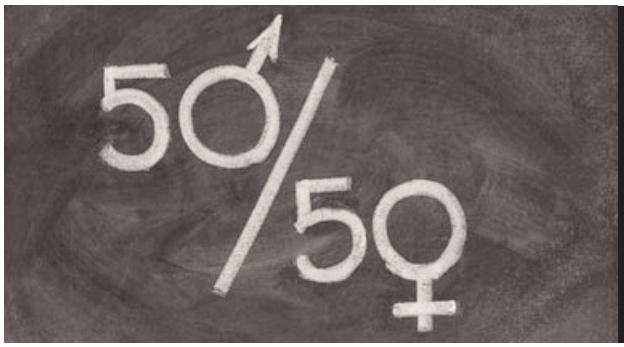

यूं तो 1974 से ही जेंडर बजट को लेकर कसमसाहट दिखाई देने लगी थी जब महिलाओं की स्थिति को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी लेकिन व्यावहारिक रूप में इसे अपनाने में लंबा समय लग गया। पूरी तरह तो इसे अभी भी न तो आम जनता समझ सकी है और न सरकारें अपना सकी हैं।

जेंडर बजट : बस नजरिये का फर्क

"अलग-अलग सेक्टरों से होने वाले विकास के लाभ से महिलाओं को बाई पास नहीं किया जाना चाहिए बल्कि महिलाओं पर आधारित ऐसे कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए जो आम विकास योजनाओं के बराबर महत्व के हों। कहा जा सकता है कि महिलाओं को लेकर ज्यादा संवेदनशीलता दिखायी जानी चाहिए।" आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान जब देश में पहली बार आम बजट में जेंडर बजट को लेकर संवेदनशीलता दिखाई गई तो इसे लेकर उपरोक्त टिप्पणी की गई। हमारे देश में यूं तो 1974 से ही जेंडर बजट को लेकर कसमसाहट दिखाई देने लगी थी जब महिलाओं की स्थिति को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी लेकिन व्यावहारिक रूप में इसे अपनाने में लंबा समय लग गया। पूरी तरह तो इसे अभी भी न तो आम जनता समझ सकी है और न सरकारें अपना सकी हैं।

धन और संसाधन का असमान वितरण

दरअसल, जेंडर बजट एक ऐसा बजट है जो समाज में लैंगिक असमानता को रेखांकित करते हुए संसाधनों के वितरण को नियमित और समान बनाता है ताकि हर वर्ग और लिंग के लोगों को उससे बराबर का लाभ मिल सके। इसके तहत योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इस तरह महिला और पुरुष दोनों के समान रूप से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। जेंडर बजट पहल द्वारा देश को जेंडर रिस्पांसिव बजट की ओर उन्मुख करने की कोशिश की जाती है। जेंडर बजट को बहुधा अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है जिनमें महिला बजट और महिला संवेदनशील बजट जैसे नाम शामिल हैं। भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी हैंडबुक में जेंडर बजट को बेहतरीन ढंग से परिभाषित किया गया है। जैसा कि सब जानते हैं कि बजट निर्धारण किसी भी सरकार के लिए सबसे अहम प्रक्रिया होती है क्योंकि संसाधनों और पैसों के सही वितरण के बिना किसी भी योजना की सफलता तो क्या क्रियान्वयन की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसे में बजट निर्धारण करते समय यदि हर योजना को स्त्री और पुरुष दोनों के नजरिये से देखा जाय तो इसे जेंडर बजट कहा जा सकता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक वीमेन कॉम्पोनेंट प्लान का निर्माण किया गया जिसने केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन कार्यालयों और मंत्रालयों के लिए साफ तौर पर निर्देश जारी कर कहा कि हर योजना में कम से कम तीस फीसद लाभ महिलाओं के खाते में जाना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति का भी निर्माण किया गया जिसने महिलाओं से संबंधित आंकड़ों को सूचीबद्ध करने का महत्वपूर्ण काम भी किया। 2001 में गठित राष्ट्रीय नीति में कहा गया "योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और सफलता के लिए तथा साथ ही संसाधनों के समान वितरण के लिए विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा एक जेंडर डेवलपमेंट इंडिक्स (जीडीआई) का गठन किया जाय। इसके तहत लैंगिक मुद्दों की समीक्षा और संबंधित मशीनरी के मूल्यांकन का काम भी किया जा सकेगा। महिलाओं से संबंधित मुद्दों और आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की मान्यताप्राप्त एजेंसियों के अलावा निजी और सरकारी स्तर पर काम कर रहे शोध संस्थानों को लगाया जाएगा ताकि आंकड़ों के आधार पर संसाधनों के वितरण का काम बेहतर ढंग से किया सके।" इससे जाहिर है कि महिलाओं के हालात को सुधारने और उन्हें आर्थिक-सामाजिक दृष्टि से समान अवसर प्रदान करने के प्रयास शुरू किये जा चुके थे। सरकार और नीति निर्धारकों ने यह समझ लिया था कि जब तक धन और संसाधन दोनों का वितरण बराबरी के साथ नहीं किया जायेगा तब तक देश को संतुलित ढंग से आगे नहीं ले जाया जा सकता है। इस देश की कुल जनसंख्या का 48 फीसद महिलाएं हैं। यानी आधी जनसंख्या औरत है। ये औरतें न केवल देश की कुल कार्य शक्ति का आधा

गौर कीजिए

यह प्रमाणित हो चुका है कि जिस घर में आय के स्रोतों पर महिलाओं का हक ज्यादा होता है वहां के बच्चे ज्यादा प्रगति करते हैं।

हिस्सा हैं वरन व्यक्तिगत रूप से उनके अपने अधिकार हैं और उनके द्वारा किये गये काम अंततः समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

वैसे तो हमारे संविधान में ही हर नागरिक का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, संसाधनों पर समान अधिकार दिया गया है लेकिन वास्तव में देखा जाय तो औरतों को आज भी संसाधनों पर, चाहे वो प्राकृतिक हों या मानव जनित, नियंत्रण और अधिकार नहीं दिया गया है। *'द हिंदू' में 25 फरवरी, 2015 को प्रकाशित अपने आलेख में यामिनी मिश्रा और रेबेका* ने कहा है कि यह भेदभाव स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, शैक्षणिक प्रशिक्षण, दक्षता और व्यवसायिक स्तर पर देखा जा सकता है। देश में महिलाओं की खराब सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 0-6 उम्र के बच्चों में लैंगिक अनुपात 1000 के मुकाबले 927 (2001 की जनगणना के मुताबिक) तक पहुंच चुका है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के मुताबिक विश्व के 142 देशों में भारत का स्थान 114वां है। यह सूची चार प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं के साथ भेदभाव को कम करने के प्रयासों के आधार पर तैयार की गई है। इन चार क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में भागीदारी और अवसर, शिक्षा, राजनीतिक सशक्तीकरण और स्वास्थ्य एवं जीविका शामिल हैं। जब देश में महिलाओं का ये हाल हो तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कवच का निर्माण करना होगा और यही कवच सरकार ने जेंडर बजट को अपना कर देने की कोशिश की है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि जेंडर बजट कोई पृथक बजट नहीं है बल्कि यह मूल बजट के संसाधनों के वितरण को महिलाओं के नजरिये से करने की कोशिश है। इसके तहत हर योजना, कार्यक्रम और बजट को इस प्रकार तैयार करना है ताकि महिलाओं को भी इसका बराबर का लाभ मिल सके। देश ने सबसे पहले यह कोशिश वर्ष 2005 में की थी जब व्यावहारिक रूप से जेंडर रिस्पांसिव बजट (जीआरबी) को अपनाया गया था। अब तक देश के 57 मंत्रालयों और विभागों ने अपने यहां जेंडर बजट सेल का निर्माण कर लिया है। यह एक ऐसा कदम है जो देश की लाखों महिलाओं को बराबरी और सम्मान की ओर ले जाता है।

आवंटन का अनुपात अब तक वही

हालांकि पिछले दस वर्षों के बजट का स्वरूप देखें तो पाएंगे कि पहली बार 2005-06 में जेंडर बजट के नाम पर जितनी राशि का आवंटन किया गया था , 2014-15 में भी अनुपात लगभग समान है। यानी कि दस सालों में महिलाओं के लिए निर्धारित योजनाओं में कुल व्यय कुल बजट का करीब 5.5 फीसद तक ही बना रहा, उससे आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा केंद्रीय सरकार को केवल 30 फीसद मंत्रालयों और विभागों के द्वारा जेंडर बजट के लिए आवेदन दिया गया। ताज्जुब इस बात का है कि पिछले वर्षों के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आवंटन में लगातार वृद्धि होती गई (2012-13 के 18,584 करोड़ के मुकाबले 2014-15 में 21,193 करोड़) लेकिन महिला कल्याण के लिए आवंटन में लगातार

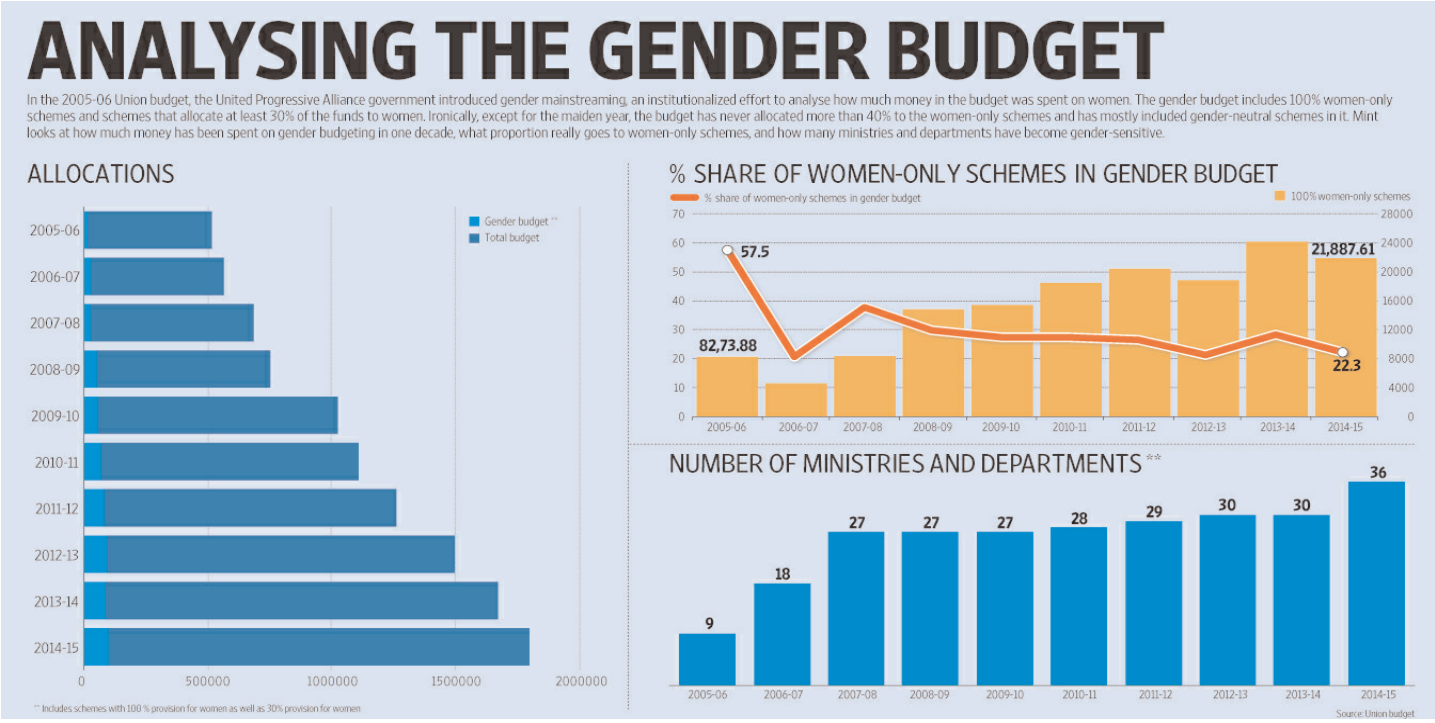

गौर कीजिए

ओईसीडी देशों में पिछले पचास सालों में लड़कियों की शिक्षा में तेजी आने से आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ी है।

कमी होती गई। 2011-12 के 930 करोड़ के मुकाबले 2014-15 में महज 920 करोड़ का आवंटन यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार के लिए भी महिला बजट आंकड़ों का खेल भर है, उसके ठोस परिणामों को प्राप्त करने की इच्छाशक्ति अभी भी हमारी सरकारों के अंदर नहीं आ सकी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए भी जो बजट आवंटित किया गया उसमें से 87 फीसद राशि बच्चों के लिए समेकित विकास के लिए थी जबकि केवल पांच फीसद राशि पूरी तरह महिलाओं के लिए योजना पर खर्च की जानी थी। महिलाओं के भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करने के लिए बनी संयुक्त राष्ट्र की कमेटी ने भी आवंटन में कमी पर चिंता जताते हुए कहा है कि भारत सरकार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों में महिलाओं आधारित योजनाओं पर निवेश बढ़ाना चाहिए।

महिला सशक्तीकरण पर असर

जेंडर बजट का महिला सशक्तीकरण के प्रयासों पर पड़ने वाले असर पर शोध करने वालीं *डा. श्रीपर्णा गुहा और सम्राट गोस्वामी* ने अपने पत्र में लिखा है कि वैसे तो देश के हर क्षेत्र में महिलाओं की सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी अपेक्षा से कम है फिर भी शहर की तुलना में गांवों की महिलाओं को यह अवसर बेहद कम मिलता है। इस स्थिति में यह राष्ट्रीय दायित्व है कि इन महिलाओं को संसाधन मुहैया कराकर उन्हें सामने आने का समान मौका दिया जाय। ऐसा करने में बजट मददगार साबित हो सकता है। बजट के विश्लेषण से यह पता लगता है कि राशि कहां और किस तरह व्यय की गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों के अध्ययन के द्वारा यह जाना जा सकता है कि महिला और पुरुषों के बीच लाभ प्राप्ति की खाई कितनी गहरी है और इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं। जेंडर बजट एक माध्यम है संसाधनों और धन के न्यायपूर्ण वितरण का जिससे कि स्त्री और पुरुष दोनों को लाभ का समान अंश मिल सके। आईडीआरसी ने 2001 की अपनी रिपोर्ट में कहा है " जेंडर बजट इनीशियेटिव इस बात की व्याख्या करता है कि सरकार पैसा कहां से लाती है और कहां खर्च करती है। यह इस बात की तस्दीक करता है कि सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन से जुड़े नीति निर्धारण में लैंगिक समानता का कितना ध्यान रखा गया है। सरकार के बजट का महिलाओं के सबसे पिछड़े समूह पर कितना असर पड़ा है, यह खास है।" जेंडर बजट को जिस समय भारत ने समझना शुरू किया था उस समय विश्व के कई दूसरे देशों ने भी अपनी नीतियों में इसको स्थान देना शुरू कर दिया था। इनमें से एक मलेशिया भी रहा। अगर उसकी प्रगति को देखें तो पाएंगे कि जेंडर बजट को समझ लेने के बाद वहां महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। मलेशिया सरकार के इकोनोमी प्लानिंग यूनिट, 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक 1989 में महिलाओं पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा के बाद पाया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबंधन के स्तर तक पहुंचने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2004 के 18.8 फीसद से बढ़कर 2010 में 30.5 तक पहुंच गया था जबकि निजी क्षेत्र में यह 13.5 फीसद से बढ़कर 26.2 फीसद तक आ गया था। केवल छह साल की छोटी अवधि में महिलाओं का इतनी बड़ी संख्या में प्रबंधक स्तर तक पहुंच जाना मायने रखता है। वर्ष 2007 में मलेशिया सरकार द्वारा शुरू किये गये 'नूर बेस्तारी' नाम के लीडरशिप प्रोग्राम से 1,47,000 महिलाओं को सीधा लाभ पहुंचा। वहीं दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम 'जेजारी बेस्तारी' के जरिये कॉटेज उद्योग में सिलाई-बुनाई के लिए करीब 23 हजार महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। देश के 222 संसदीय क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर आधारित सेमिनारों में 61 हजार से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसी तरह तरह काम करने वाली महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर 436 निबंधित चाइल्ड केयर सेंटरों की स्थापना की गई जबकि इस काम के लिए 534 लोगों को क्षमता विस्तार की ट्रेनिंग दी गई।

2011 में भारत के 22 राज्यों में जेंडर बजट की स्थिति को जांचने के लिए नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक कोआपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट (एनआईपीसीसीडी) ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आदेश पर एक शोध किया। यह एक आसान सा अध्ययन था जो राज्यों के बजट दस्तावेजों और जानकारियों के आधार पर किया जा रहा था। इसके तहत जिन योजनाओं और कार्यक्रमों पर नजर रखी गई थी उनमें शामिल थे

-महिला केन्द्रित योजनाएं : जिनमें सौ फीसद राशि केवल महिलाओं के कल्याणार्थ खर्च की जानी हो

-महिला समर्थित योजनाएं : जिनमें कम से कम तीन फीसद राशि महिलाओं के हित में खर्च की जानी हो

- आम योजनाएं : जो पूरे समुदाय के लिए समान रूप से लागू हो।

अध्ययन के बाद एनआईपीसीसीडी ने जो तथ्य एकत्र किये उनके मुताबिक

-वर्ष 2000-01 के बीच महिला केन्द्रित और महिला समर्थित योजनाओं के लिए जो राशि आवंटित की गई थी वह दस राज्यों में महज 2 फीसद से लेकर 11 फीसद तक थी।

-छह राज्यों के बजट में महिलाओं पर आधारित योजनाओं के लिए एक फीसद से भी कम राशि आवंटित की गई थी।

-महिला समर्थित योजनाओं पर अपेक्षाकृत कुछ ज्यादा व्यय किया गया था और पांच राज्यों में यह राशि 6 से लेकर 11 फीसद तक रही।

-आम योजनाओं के लिए व्यय भी बेहद कम 2 से 5 फीसद तक रहा।

इस रिपोर्ट से जाना जा सकता है कि योजना आयोग के वीमेन कॉम्पोनेंट प्लान के तहत जारी 30 फीसद आवंटन के निर्देश की तुलना में राज्यों ने कितना कम आवंटन महिलाओं के हित में किया।

गौर कीजिए

विश्व के 219 देशों में 1970 से 2009 के बीच किये गये अध्ययन में पाया गया कि लड़कियों की शिक्षा के कारण शिशु मृत्यु दर में 9.5 फीसद की कमी आई।

प्रयास : ग्लोबल

आस्ट्रेलिया ने दिखाई थी दुनिया को राह

यूं तो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई विश्व के कई देशों में बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी लेकिन बजट के माध्यम से उन्हें देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के दायरे में लाने की बात सबसे पहले आस्ट्रेलिया के नीति निर्धारकों ने सोची। उन्होंने यह समझ लिया कि यदि देश की गति को बरकरार रखने वाले आम बजट को महिलाओं के दृष्टिकोण से बनाया जाय तो हर क्षेत्र में उनके लिए कार्यक्रम बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में आसानी हो जाएगी। आस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन उन देशों में शामिल रहे जिन्होंने जेंडर रिस्पांसिव बजट को अपनाने में देर नहीं की।

आस्ट्रेलिया : 1980 के मध्य तक देश के केंद्रीय और राज्य सरकारों ने अपने यहां वीमेन बजट स्टेटमेंट (डब्ल्यूबीएस) को एक ऐसे यंत्र के रूप में अपनाना शुरू कर दिया था जिसकी मदद से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक योजनाओं से जोड़ा जा सकता था। राज्य सरकारों ने यह जाना कि मंत्रालयों के बजट, राजस्व और व्यय का क्या असर महिलाओं और लड़कियों के विकास पर पड़ता है। इसी तरह केंद्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए गठित कार्यालय ने सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया कि वे न केवल महिलाओं और लड़कियों के लिए बनने वाली योजनाओं की निगरानी करें बल्कि उनके प्रभावों की भी नियमित समीक्षा करें।

ब्रिटेन : आस्ट्रेलिया में जेंडर बजट को लेकर शुरू हुए अभियान ने ब्रिटेन में एक नये विचार को जन्म दिया। 1989 में यूनाइटेड किंगडम वीमेन्स बजट ग्रुप (यूकेडब्ल्यूबीजी) का उदय हुआ जो विभिन्न सेक्टरों में महिला आधारित मुद्दों की वकालत करता था। इसकी शुरुआत थैचर

(स्रोत : हरकैंपस.कॉम)

गौर कीजिए

पूरी दुनिया में 55 फीसद मर्दों और केवल 47 फीसद औरतों का किसी वित्तीय संस्थान में अपना खाता है।

सरकार के समय बनने वाले बजट के महिलाओं पर होने वाले प्रभावों पर टिप्पणी के साथ हुई। यूकेडब्ल्यूबीजी मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजस्व उगाही तंत्र जैसे करों और सुरक्षा उपायों पर विश्लेषण करता है।

कनाडा : 1993 में कनाडा के स्वयंसेवी संगठन वीमेन्स इंटरनेशनल लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम ने एक मिशन की शुरुआत की जिसने रक्षा पर होने वाले व्यय और सामाजिक क्षेत्र में उसके इस्तेमाल पर ध्यान केन्द्रित किया।

दक्षिण अफ्रीका : इसी तरह संसद सदस्यों और दो एनजीओ की मदद से 1996 में साउथ अफ्रीकन वीमेन्स बजट इनीशियेटिव (एसएडब्ल्यूबीआई) की शुरुआत हुई। एसएडब्ल्यूबीआई अब तक की सबसे संगठित जीआरबी पहल थी। जेंडर बजट की दिशा में इसे दुनिया का सबसे सफल अभियान भी माना गया क्योंकि इसे संसद सदस्यों, नागरिक समाजों, सरकार और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का समर्थन एक साथ प्राप्त था। बाद के वर्षों में एसएडब्ल्यूबीआई जेंडर बजट के लिए सबसे प्रमुख प्रेरक साबित हुई। इसके तहत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बजटों पर शोध और उनकी वकालत की जाती थी। शुरुआत के पांच वर्षों तक एसएडब्ल्यूबीआई के तहत केवल खर्चों और आवंटन के महिलाओं पर होने वाले असर का अध्ययन किया जाता था जबकि बाद में बजट के तहत राजस्व की समीक्षा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान, दानदाताओं के फंड और उत्पादन शुल्क जैसे विषयों की भी पड़ताल की जाने लगी।

इस तरह 2002 तक विश्व के 60 से अधिक देशों ने अपने यहां जेंडर रिस्पांसिव बजट को या तो अपना लिया था या अपनाने वाले थे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से जारी हैंडबुक में दुनिया के देशों में जेंडर बजट की शुरुआत और प्रसार के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक हर देश ने इस विचार को अपनाने में कई जोखिमों का सामना किया तो कई ने अपने उठाये गए कदमों से दुनिया के सामने मिसाल पेश किया। उदाहरण के तौर पर आस्ट्रेलिया, जिसे जीआरबी को अपनाने वाला सबसे पहला देश माना जाता है, वहां भी सरकार के अंदर से विरोध की आशंका बनी हुई थी। इसी तरह फिलीपीन्स में सरकारी कर्मचारियों को जेंडर बजट के बारे में समझाने के लिए कई उपाय अपनाने पड़े। हालांकि फिलीपीन्स में नागरिक समाज और सरकार के तालमेल ने इस क्षेत्र में काम कर रही एजेंसियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण ने अन्य देशों के सामने हर सेक्टर को साथ लेकर चलने की प्रेरणा दी तो तंजानिया ने बजट का विस्तार कर मैक्रोइकोनॉमिक मॉडल के तहत काम करने के बारे में बताया। यूगांडा ने अन्य देशों को बताया कि किस तरह बजट की आरंभिक प्रक्रियाओं में गैर सरकारी एजेंसियों और लोगों को जोड़ा जा सकता है। अलग-अलग देशों के अनुभवों से जेंडर बजट को लागू करने में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की भूमिकाओं का भी पता लगता है। ब्रिटेन में जेंडर बजट को लेकर चले अभियान में शिक्षाविदों की भूमिका के बारे में दुनिया ने जाना और यह भी कि खर्च से अधिक टैक्स और उसके लाभों का अध्ययन करना जरूरी है। मेक्सिको के उदाहरण से पता चला कि एक साथ कई मुद्दों पर फोकस करने से अच्छा है किसी एक या दो बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे कि प्रजनन और सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं। आस्ट्रिया ने अध्ययन और विश्लेषण से आगे बढ़कर नीति निर्धारण में जेंडर बजट को शामिल करने का रास्ता दिखाया। नीदरलैंड ने बताया कि किस तरह जेंडर बजटिंग को मौजूदा व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है।

पाकिस्तान और जेंडर बजट

डा.शाहबाज इसरार खान ने पाकिस्तान में जेंडर बजट को लेकर किये अपने अध्ययन में बताया है कि हिंसाग्रस्त और आतंकवाद प्रभावित देश होने के कारण पाकिस्तान में अकेली और विधवा महिलाओं की तादाद ज्यादा है। इन 'इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन' (आईडीपी) महिलाओं के सामने प्रवास की समस्या सबसे गंभीर होती है। आये दिन होने वाले हमलों के कारण पाकिस्तान गंभीर सामाजिक-आर्थिक संकट का सामना भी कर रहा है। मानव विकास सूचकांक में पाकिस्तान 145वें स्थान पर है जबकि महिला विकास सूचकांक में तो यह और कम यानी 0.721 है। पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण जहां महिलाओं की संख्या भी कम है वहीं न तो उन्हें शिक्षा और न ही रोजगार में बहुत अहमियत दी जाती है।

देश में जेंडर बजट को लेकर किये गये कामों की फेहरिस्त छोटी है। इस पर बहुत ज्यादा अध्ययन भी नहीं किया गया है। 'पोवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटेजी पेपर' (पीआरएसपी) ने अपने दिसम्बर, 2003 के दस्तावेज में कहा है "दीर्घकाल में सरकार जेंडर रिस्पांसिव बजट को लागू करेगी और तमाम राज्य सरकार और स्थानीय निकायों में इसे लागू किया जाएगा ताकि बजट के दौरान संसाधनों के वितरण और महिलाओं पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया जा सके।" वैसे पाकिस्तान ने सबसे पहले वर्ष 2005 में यूएनडीपी के सहयोग से जेंडर रिस्पांसिव बजट की शुरुआत की थी। राज्य स्तर पर पंजाब में एसडीसी और रॉयल नार्वियन एम्बेसी के साथ मिलकर इसे शुरू किया गया। जिन दो जिलों में इसे शुरू किया गया उनमें से एक सबसे गरीब तो दूसरा सबसे अमीर जिला है। पहले साल में शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या कल्याण के क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित किया गया। डा. खान के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे बड़ी समस्या मंत्रालयों में समन्वय की कमी है। इसके अलावा महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के काम भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं किये गये हैं। इतना ही नहीं जीआरबी के लिए सरकार की ओर से एनजीओ के लिए कोई फंड जारी नहीं किया जाता जिसके कारण इस विषय पर ढंग से काम भी नहीं हो पाया है।

गौर कीजिए

2013 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में पुरुष कार्यबल जनसंख्या के अनुपात में 72.2 फीसद और महिला कार्यबल 47.1 फीसद है।

देश में

पंचवर्षीय योजनाओं में जेंडर बजट

पिछले दो दशकों में देश के बजट में महिलाओं को अलग स्थान दिया जाने लगा है। यह माना जाने लगा है कि महिलाओं को पूरे देश के नजरिये से या फिर अकेले, समान रूप से आगे बढ़ने की आजादी है। भारत के साथ ही कई देशों ने महिला संबंधी मुद्दों और विषयों को महत्व देना शुरू किया खासकर तब जबकि हर विभाग और योजना के लिए आवंटन किया जा रहा हो। हालांकि औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 1997-98 में हुई जब वीमेंस कॉम्पोनेंट प्लान का आरंभ किया गया।

वैसे सबसे पहले सातवीं पंचवर्षीय योजना (1987-1992) में जेंडर बजट को ध्यान में रखकर संसाधनों का आवंटन किया गया था। इसके तहत महिलाओं के लिए बनाई गई 27 लाभ आधारित योजनाओं की निगरानी की व्यवस्था की गई और इसका जिम्मा तत्कालीन महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपा गया। इसके बाद आने वाले हर साल में महिलाओं के लिए योजनाओं की संख्या बढ़ाई जाने लगी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में यह सुनिश्चित किया गया कि विकास के सामान्य क्षेत्रों से महिलाओं के लिए लगातार धन जुटाया जा सके। बाद के वर्षों में भी महिलाओं की जरूरत और उनके लिए बनने वाली योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा। वित्त मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जिसने वर्ष 2004 में अपनी रिपोर्ट में जेंडर बजटिंग की सिफारिश की। रिपोर्ट में एक अंतर विभागीय कमेटी का गठन, हर विभाग में एक जेंडर बजट सेल का गठन, बजट में एक सब-हेड और डिटेल्ड हेड का निर्माण, नतीजों की निगरानी और हर विभाग के वार्षिक रिपोर्ट में लाभ आधारित विश्लेषण होने की सिफारिश की गई। कमेटी की इन सिफारिशों का दूरगामी असर हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि अलग-अलग क्षेत्रों से होने वाले लाभ के वितरण में महिलाओं को बाइपास नहीं किया जा सकता। विकास की सामान्य योजनाओं को महिलाओं के लिए बनने वाली विशेष योजनाओं का साथ मिलना चाहिए। इतना ही नहीं अन्य क्षेत्रों को महिलाओं के लिए ज्यादा संवेदनशीलता भी दिखानी चाहिए।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान वीमेंस कॉम्पोनेंट प्लान को अपनाया गया और इसके जरिये महिला समानता और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई। इसने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देशित किया कि वे महिला संबंधी सेक्टरों में कम से कम 30 फीसद फंड की उपलब्धता तय करें।

इसी तरह दसवीं योजना (2002-07) में साफ तौर पर कहा गया कि इस योजना में भी सरकार जेंडर बजट के लिए अलग स्थान रखेगी और महिलाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी। दसवीं योजना वीमेंस कॉम्पोनेंट प्लान और जेंडर बजट के बीच सामंजस्य स्थापित करेगी ताकि दोनों एक-दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर सकें। इससे महिलाओं के विकास योजनाओं में अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकार को बल मिलेगा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टि पत्र में कहा गया कि सभी मंत्रालयों और विभागों में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए जरूरी है कि नीतियों और योजनाओं में आवश्यक प्रावधान किये जाएं। इस योजनाकाल में पहली बार जेंडर बजटिंग के लिए एक उप समूह का गठन किया गया जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे समूह का हिस्सा बना। मंत्रालयों में जेंडर बजट के लिए सिफारिशों के तहत उप समूह ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक जेंडर बजटिंग ब्यूरो के गठन की अनुशंसा की जो जेंडर बजट के लिए क्षेत्रीय संसाधनों और प्रशिक्षण केंद्रों के गठन की व्यवस्था करे। इसके साथ ही जेंडर बजटिंग के लिए ट्रेनिंग मैनुअल तैयार करने की भी अनुशंसा की गई। इस उप समूह की रिपोर्ट को महिलाओं के लिए काम कर रहे समूह का एक अहम हिस्सा माना गया और इसे योजना आयोग के पास भेज दिया गया।

इसके अलावे भी जेंडर बजट के महत्व को अलग-अलग समय और मौकों पर उजागर किया जाने लगा। इसे और प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2004-05 के बजट में सभी मंत्रालयों और विभागों में जेंडर बजट सेल के गठन को अनिवार्य कर दिया और उन बातों को चिह्नित किया जो बजट के आवंटन के दौरान लैंगिक समानता को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। 2005-06 के बजट के दौरान जेंडर बजट को और जोरदार ढंग से उठाया गया और पहली बार इसके लिए 14, 379 करोड़ की राशि अलग से आवंटित की गई। 2006-07 में इसे बढ़ाकर 28, 737 करोड़ कर दिया गया। 2007-08 में सौ फीसद महिलाओं और लड़कियों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया जिसमें से 30 फीसद पूरी तरह महिलाओं और लड़कियों के कल्याण के लिए निर्धारित किया गया। आज के समय में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जेंडर बजटिंग के लिए नोडल एजेंसी का काम कर रहा है।

(स्रोत : डब्ल्यूसीडी.निक.इन)

गौर कीजिए

दुनिया के ज्यादातर देशों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं केवल 60-75 फीसद पगार पाती हैं।

बिहार में जेंडर बजट

लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए जेंडर रिस्पांसिव बजट को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है। विश्व के 90 से ज्यादा देशों ने इसे अपने यहां समानता को स्थापित करने वाले तंत्र के रूप में अपनाया है। भारत में भी केंद्र सरकार ने इस विचार को अपनाया है और उसके साथ ही कुछ राज्यों ने भी इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है।

जेंडर बजटिंग एक ऐसा विचार, ऐसा तंत्र है जो बजट की नीतियों और प्रक्रियाओं दोनों में सुधार कर उसे महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता की दिशा में अग्रसर करता है। लेकिन इसके साथ ही यह हमारे देश में मौजूद उस पितृसत्तात्मक समाज को भी सामने रखता है जिसका बुरा असर हमारी महिलाओं और बालिकाओं पर पड़ रहा है। जेंडर बजटिंग हमारे चारों ओर मौजूद लिंग आधारित भेदभाव को उजागर करता है जिसकी वजह से महिलाओं को सरकारी योजनाओं और नीतियों का लाभ पुरुषों की तुलना में कम मिल पाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो महिलाओं को ध्यान में रखे बिना बनाई गई सरकारी नीतियां अपने लक्ष्य को पाने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाती हैं। इतना ही नहीं, यदि औरतों के साथ होने वाले भेदभाव को ध्यान में रखे बिना सरकारी हस्तक्षेप होता है या नीतियां बनाई जाती हैं तो इससे लंबे समय में लिंग आधारित चुनौतियों के समाप्त होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में जेंडर बजटिंग यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए नीतियों तथा बजट में उनके लिए प्रभावकारी कदम उठाएं जा सकें। सौभाग्य से बिहार देश के उन कुछ राज्यों में से है जहां जेंडर बजट को संस्थागत बनाने की पहल की गई है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जेंडर बजट स्टेटमेंट जारी करना। अन्य राज्यों की भांति ही बिहार में भी कई विभागों (वित्त विभाग) में जेंडर बजट सेल का निर्माण किया गया है।

अरविन्द चौधरी, भा.प्र.से.

(सचिव, समाज कल्याण विभाग
बिहार सरकार)

1.1 बिहार में जेंडर बजटिंग

2011 की जनगणना के मुताबिक, बिहार में महिलाओं की संख्या पूरी आबादी का 48 फीसद है। इनमें से 47 फीसद प्रजनन आयु (15 से 49) में हैं जबकि 21 फीसद किशोरावस्था में हैं, 6 फीसद महिलाएं 50-60 वर्ष तथा 5 फीसद महिलाएं 60 वर्ष से ऊपर की हैं। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2011 और एसआरएस 2009 के मुताबिक, राज्य में कुल उत्पादकता दर (टोटल फर्टिलिटी रेट) 3.9 फीसद है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर 2.4 फीसद है। यहां 19 साल की उम्र तक 58 फीसद लड़कियां या तो मां बन चुकी होती हैं या गर्भ धारण कर चुकी होती हैं। राज्य में 15-49 वर्ष तक की 56 फीसद महिलाएं शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार होती हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी दर 35 फीसद है (एनएफएचएस 111)। राज्य में हर एक हजार पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं (जनगणना, 2011) और हर एक हजार बच्चे पर 909 बच्चियां जन्म लेती हैं (जन्म के समय लिंग अनुपात)। यह अंतर राज्य में लड़कों के प्रति लोगों के अनुराग को दर्शाता है। हालांकि पिछले दशक में राजय सरकार ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किये हैं।

लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए बिहार सरकार की योजनाएं

- महिलाओं द्वारा गठित और संचालित संस्थाओं यथा स्वयं सहायता समूहों, क्लस्टर्स/वीओ और गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर गठित फेडरेशनों और संस्थाओं के परिचालन के लिए विशेष कार्यक्रम 'जीविका' को लागू किया गया।

- जन्म पंजीकरण को सुनिश्चित करने और फलस्वरूप लिंग अनुपात को संतुलित करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना को लागू करना। इसके तहत जन्म पंजीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करने पर बीपीएल परिवारों की 0-3 वर्ष तक की दो बच्चियों के नाम से सरकार दो-दो हजार का फिक्स डिपॉजिट करवाती है।

-लड़कियों को कम उम्र में शादी से बचाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लागू किया गया। इसके तहत 18 साल के बाद ब्याही गई लड़कियों को सरकार की ओर से पांच-पांच हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

- स्कूलों से लड़कियों के ड्रॉप आउट को रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को लागू किया गया। इसके तहत नौंवी कक्षा में दाखिला लेने पर सभी लड़कियों को सरकार की ओर से मुफ्त साइकिल देने का प्रावधान है।

गौर कीजिए

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता के मामले में 136 देशों में से भारत 103वें स्थान पर है।

बिहार में

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
स्टेटमेंट के भाग 'ए' में आवंटन की राशि	896.14	1118.13	1650.46	1995.64
स्टेटमेंट के भाग 'बी' में आवंटन की राशि	1351.66	2238.81	3008.11	4092.48
कुल जेंडर बजट (भाग 'ए'+ भाग 'बी')	2247.81	3356.94	4658.57	6088.12
कुल बजट	38574.12	47446.34	53758.56	65325.87
जेंडर बजट का कुल परिमाण	5.83	7.07	8.66	9.32
विभागों की संख्या	10	12	13	16

स्रोत : जेंडर बजट स्टेटमेंट, बिहार

-बारहवीं तक की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए दसवीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत दस हजार तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

-मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

-मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना उन महिलाओं को लक्ष्य करके बनाई गई है जो अब तक शिक्षा से वंचित रही हैं। इसके तहत 6 महीने की अवधि में 40 लाख महिलाओं को साक्षर बनाने की योजना है।

- बिहार देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज निकायों में महिलाओं को पचास फीसद आरक्षण प्रदान किया गया है।

वर्ष 2008-09 से लेकर अब तक बिहार सरकार राज्य बजट के साथ ही जेंडर बजट स्टेटमेंट प्रस्तुत करती रही है। इसमें महिलाओं के लिए जरूरी बजट आवंटनों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2008-09 में दस विभागों के लिए बनाए गए कुल बजट का 15 फीसद आवंटन महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया। इसी तरह, 2011-12 में महिलाओं के लिए बजट आवंटन करने वाले विभागों की संख्या बढ़कर 16 हो गई। वे विभाग जिन्होंने आवंटन निर्धारित किये हैं, उनमें निम्न शामिल हैं -

1. समाज कल्याण
2. पंचायती राज
3. अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण
4. श्रम संसाधन
5. लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण
6. योजना एवं विकास
7. अल्पसंख्यक कल्याण
8. पिछड़े (बीसी) एवं अतिपिछड़े वर्ग (ईबीसी) कल्याण
9. मानव संसाधन विकास
10. राजस्व एवं भूमि सुधार
11. स्वास्थ्य
12. कला, संस्कृति एवं युवा
13. ग्रामीण विकास
14. उद्योग
15. शहरी विकास एवं आवास
16. वित्त

बजट स्टेटमेंट के भाग 'ए' में उन योजनाओं को रखा जाता है जिनमें सौ फीसद राशि केवल महिलाओं के लिए खर्च की जानी होती है जबकि भाग 'बी' में वैसी योजनाएं होती हैं जिनमें महिलाओं के लिए कम से कम तीन फीसद राशि का आवंटन किया जाता है। उपरोक्त टेबुल से पता चलता है कि जेंडर बजट स्टेटमेंट में दर्शाये गये कुल आवंटन में 2008-09 के 5.83 फीसद के मुकाबले 2011-12 में 9.32 फीसद तक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें योजना और गैर योजना दोनों मद की राशि सम्मिलित है। राज्य में वित्त विभाग अन्य सभी विभागों द्वारा भेजे गये आंकड़ों को समेकित कर जेंडर बजट स्टेटमेंट तैयार करता है। हर वर्ष जून-जुलाई के महीने में विभाग इस स्टेटमेंट को बजट सर्कुलर के साथ सभी विभागों को भेजता है। राज्य के जेंडर बजट स्टेटमेंट में निम्न विशेषताओं को रेखांकित किया जा सकता है -

-सभी विभागों द्वारा भेजे गए आंकड़ों को मिलाकर जेंडर बजट स्टेटमेंट - तैयार करने में वित्त विभाग मुख्य भूमिका निभाता है।

-केवल बिहार ही ऐसा राज्य है जहां स्टेटमेंट में महिलाओं के लिए आवंटित राशि के साथ-साथ कुल आवंटित राशि का भी ब्योरा होता है।

-कर्नाटक और महाराष्ट्र के इतर जहां के विभाग अपने स्टेटमेंट में सौ फीसद आवंटन दर्शाते हैं, बिहार में भाग 'बी' के तहत ऐसी योजनाओं को भी दर्शाया जाता है जिनमें आवंटन की राशि कम होती है। इससे ज्यादा निष्पक्ष और सही स्थिति सामने आती है।

गौर कीजिए

जेंडर असमानता इंडेक्स में 187 देशों में से भारत का स्थान 132वां है।

बिहार में

योजनाएं	कुल आवंटन (लाख में)	भाग 'बी' में आवंटन	आवंटन का अनुपात
बिहार राज्य विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम	2500.00	750.00	30
आवासीय विद्यालय	5203.64	1561.09	30
तकनीकी शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना	2000.00	600.00	30
मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना	6750	2025	30
हस्तशिल्प योजना	244.76	73.43	30

स्रोत : जेंडर बजट स्टेटमेंट 2011-12, बिहार

-मानव संसाधन विभाग के मामले जहां शिक्षकों से जुड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, 65 फीसद योजनाएं भाग 'बी' के अंतर्गत रखी गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षकों की 50 फीसद सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह मिड डे मील, पोशाक और एसएसए जैसी योजनाओं को भी भाग 'बी' में रखा गया है।

बिहार में जेंडर बजट के सामने निम्न चुनौतियां हैं-

-परिवहन, ऊर्जा और आधारभूत संरचनाओं जैसे सेक्टरों में जेंडर बजट को लागू करना मुश्किल है।

-समय और समर्पित लोगों की कमी

-कई योजनाएं जेंडर बजट स्टेटमेंट की परिधि से बाहर होती हैं

- ऐसे कई दोष जो राष्ट्रीय स्तर पर भी जेंडर बजट को प्रभावित करते हैं, राज्य में भी मौजूद हैं।

बहरहाल, तमाम चुनौतियों के बाद भी बिहार सरकार ने जेंडर बजट लागू करने की दिशा में अच्छी प्रगति की है। 2015 में सरकार ने महिला सशक्तीकरण नीति को अपनाया और इसकी सफलता के लिए एक एकीकृत एक्शन प्लान भी शुरू किया है।

Gender Inequality Profile of India

	India 2012
HDI Rank	136
Gender Inequality Index Rank	132
Maternal Mortality Ratio	178
Adolescent Fertility Rate	74.7
Seats in National Parliament (% female)	10.9
Population with at least Secondary Education (Female)*	26.6
Population with at least Secondary Education (Male)*	50.4
Female Labourforce Participation Rate	33.1
Male Labourforce Participation Rate	82.7

*Source: Open data portal, HDR, UNDP, * 2006-10 estimates*

गौर कीजिए

ग्रामीण और शहरी रोजगार में पुरुष कामगारों के 69 फीसद के मुकाबले महिला कामगारों को 61 फीसद वेतन मिलता है।

जानकारी

क्या है जेंडर बजट सेल

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 8 मार्च 2007 को जारी जेंडर बजट सेल के चार्टर में इस सेल के निर्माण और कार्य से संबंधित हर विवरणी दी गई है। चार्टर के मुताबिक विभिन्न मंत्रालयों में जेंडर बजट सेल का गठन किया गया है ताकि जेंडर बजट के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके। सेल के उद्देश्यों में जेंडर बजट को लागू करना और मंत्रालय की नीतियों को इस प्रकार प्रभावकारी ढंग से बदलना कि उसका इस्तेमाल लैंगिक असमानता को दूर करने, विकास और संसाधनों के समुचित आवंटन में किया जा सके, शामिल है। जेंडर रिस्पांसिव बजटिंग (जीआरबी) या जेंडर बजट एक माध्यम है जिसके जरिये संसाधनों का वितरण इस तरह किया जाता है कि किसी विशेष लिंग के लोगों की जरूरतों को संतुष्ट किया जा सके। जीआरबी के तहत महिलाओं के लिए किसी अलग बजट की आवश्यकता नहीं होती बल्कि यह संपूर्ण बजट को महिलाओं के नजरिये से देखने की कोशिश है कि आखिर किस तरह इससे महिलाओं की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। जेंडर बजट सेल के चार्टर में उन दिशा-निर्देशों का विवरण है जिससे मंत्रालयों और विभागों को इस दिशा में मदद मिल सके।

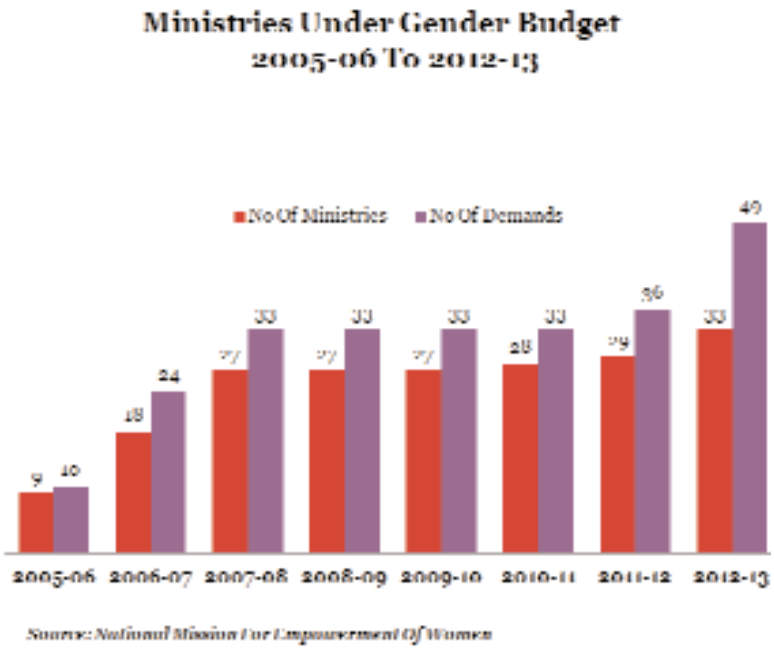

जेंडर बजट सेल की संरचना

जेंडर बजट सेल मंत्रालय के हर सेक्शन यथा योजना, नीति, समन्वय, बजट और लेखा से जुड़े शीर्ष और मध्यम रैंक के अधिकारियों का एक समूह होता है जिसका नेतृत्व एक ज्वायंट सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी करता है। इस सेल के कामों की समीक्षा हर तीन महीने पर सचिव या अतिरिक्त सचिव के स्तर पर की जाती है। अपने कामों के लिए लक्ष्य यह सेल खुद तैयार करता है जो तिमाही या वार्षिक आधार पर हो सकती है। जिन कामों को यह सेल पूरा करती है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

■ इनमें बजट आवंटन के आधार पर कम से कम तीन और अधिक से अधिक छह बड़ी योजनाओं को लागू करने तथा महिला मुद्दों के आधार पर उप योजनाओं के निर्धारण का काम।

-किये गये कार्य के प्रतिफल को जानने के लिए सूचकों का इस्तेमाल करना।

अपनायी गयी योजनाओं के द्वारा महिलाओं की स्थिति में आये सुधार को चिह्नित करना।

-सेक्टरल पुलिस के काम की निगरानी करना

-महिलाओं के हित में लागू की गई योजनाओं के लिए आवंटित राशि की उपयुक्तता जांचना

-यह देखना कि राशि का समुचित इस्तेमाल हुआ या नहीं, पैसा किसे दिया गया और कहां खर्च हुआ

-क्या योजना के लागू होने से महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, इत्यादि।

गौर कीजिए

अगर महिला और पुरुष के बीच असमानता खत्म हो जाय तो महिलाएं अपनी तनख्वाह में 76 फीसद तक बढ़ोतरी कर सकती हैं।

जानकारी

उपरोक्त विश्लेषणों से प्राप्त नतीजों का आगामी बजट के 'जेंडर रिस्पान्सिव बजटिंग इनिशियेटिव' के तहत अनुसरण किया जाता है। इसी तरह जिन योजनाओं में सौ फीसद राशि का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया जाता है उनका विश्लेषण करके उन्हें भी आगामी बजट के लिए प्रेषित कर दिया जाता है।

■ योजनाओं के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऑडिट की व्यवस्था करना और यह जांचना कि योजना कहां तक अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो पाई है और इसकी पूर्ण सफलता के लिए किन-किन तत्वों की जरूरत है।

■ मंत्रालयों में गठित जेंडर बजट सेल के बीच समन्वय स्थापित करना और बैठक, वार्ता व अन्य विमर्श के लिए मार्ग प्रशस्त करना। इस क्षेत्र में काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों व अन्य समूहों के विचारों का आदान-प्रदान और उनके सुझावों पर गौर करना तथा उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास करना।

■ उपरोक्त प्रक्रियाओं के बाद प्राप्त नतीजों के आधार पर आगे की रणनीति तैयार करना।

■ मंत्रालयों और विभागों में जेंडर बजट सेल से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजना करवाना ताकि नीतियों के कार्यान्वयन और उनके लिए बजट का सही आकलन किया जा सके।

■ रक्षा, ऊर्जा, दूरसंचार, सूचना और परिवहन जैसे सेक्टरों में चलाए जाने वाले जेंडर निरपेक्ष कार्यक्रम बहुधा अपने उद्देश्यों को उचित तरीके से स्थापित नहीं कर पाते। ऐसे में जेंडर बजट सेल उन योजनाओं का अधिग्रहण कर सकता है या उन्हें बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए कोई मार्ग तलाश सकता है।

■ जेंडर बजट के क्षेत्र में उम्दा काम करने वाले विभागों या मंत्रालयों के कामों का प्रचार प्रसार करना ताकि वे अन्य विभागों के लिए प्रेरणा बन सकें।

(स्रोत : डब्ल्यूसीडी.निक.इन)

कॉमनवेल्थ द्वारा संग्रहित जेंडर बजट के छह मुख्य टूल्स

1. जेंडर जागरूकता संबंधी नीतिगत मूल्यांकन
2. लाभुकों का आकलन
3. सार्वजनिक व्यय संबंधी विश्लेषण
4. जेंडर विभेद संबंधी विश्लेषण
5. जेंडर संबंधी मध्यम अवधि की आर्थिक नीतियां
6. जेंडर रिस्पांसिव बजट कथन

लांग्वे ने महिला सशक्तीकरण के पांच प्रमुख स्तर बताए हैं

1. कल्याण : कारणों का समाधान किये बिना मूलभूत जरूरतें पूरी होना
2. पहुंच : शिक्षा, रोजगार, जमीन और कर्ज जैसे संसाधनों तक पहुंच
3. मान्यता : संरचनात्मक और संस्थागत भेदभाव को मान्यता मिलना क्योंकि निम्न आर्थिक-सामाजिक स्तर उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है
4. भागीदारी : सामूहिक भागीदारी से महिलाओं को ताकत मिलती है
5. नियंत्रण : स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए निर्णय लेने की क्षमता का होना ताकि पंचायत स्तर से लेकर संसद तक महिलाओं की निर्णायक क्षमता का विस्तार हो

जेंडर

समाज द्वारा निर्धारित जिसे बदला भी जा सकता है

हर सभ्यता और देश में जेंडर की भूमिका अलग-अलग है

जेंडर के मामले में नीतियां समाज द्वारा तय भूमिका के आधार पर बनती हैं

सेक्स

जैविक अंतर, जिसे बदला नहीं जा सकता

सभी इतिहासों व सभ्यताओं में सेक्स का वजूद मौजूद है

सेक्स के मामले में नीतियां केवल शारीरिक अंतर के आधार पर बनती हैं

गौर कीजिए

महिलाओं को बिना वेतन के कामों में अपना ज्यादा समय खर्च करना पड़ता है।

अफसोस

जेंडर बजट सेल के साथ ही भेदभाव

वर्ष, 2007 में जेंडर बजट सेल के गठन की प्रक्रिया इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी कि हर विभाग और मंत्रालय में योजनाओं के निर्माण के दौरान उनका महिलाओं पर होने वाले असर पर ध्यान दिया जा सके। यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम संसाधनों का इस्तेमाल और वितरण महिला और पुरुष दोनों वर्गों तक समान लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा सके। दुर्भाग्यवश सेल के गठन के उद्देश्यों तक पहुंचने तो क्या उसे प्राप्त करने के तरीके अपनाने में भी मंत्रालय और विभाग विफल साबित हुए हैं। *यामिनी मिश्रा और नवनीता सिन्हा ने अपने शोध पत्र 'वाट हैज गॉन रांग विथ जीआरबी इन इंडिया'* में लिखा है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी निर्देश कि जेंडर बजट सेल के प्राप्त आंकड़ों की नियमित तौर पर समीक्षा की जाएगी और उन्हें आम लोगों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा, की भी पूरी तरह अवहेलना कर दी गई। नतीजा आज भी ज्यादातर लोग इन सेल के बारे में कुछ नहीं जानते। नीति निर्धारकों के बीच भी यह धारणा बन गई है कि ये सेल अप्रभावी हैं और मुख्य रूप से कागजों तक सीमित हैं। दुखद यह है कि आज तक सरकार द्वारा इन जीबीसी की गहन समीक्षा तक नहीं की गई। अध्ययन के दौरान यह बात सामने आई है कि जेंडर बजट को लागू करने और मंत्रालयों में गठित सेल को न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई अन्य देशों में भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है।

जीबीसी का सक्रिय न होना कई देशों की समस्या बन चुका है। ज्यादातर देशों की जेंडर मशीनरी इसी तरह की समस्या का सामना कर रही हैं। इसका विपरीत असर कामकाज पर हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है वो ये कि जेंडर एजेंडा को एक अतिरिक्त भार के रूप में देखा जाने लगा है। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी लेना कोई भी कर्मचारी या अधिकारी नहीं चाहता है। विभागों और मंत्रालयों में पहले से ही काम के बोझ से दबे अधिकारियों को जेंडर बजट सेल का अतिरिक्त काम भी देखना पड़ता है। ऐसे में यदि वे चाहें भी तो इस सेल को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं। जेंडर एजेंडा की उपेक्षा कई तरह से सामने आती है। कई बार और कई देशों में जेंडर का एजेंडा शीर्ष अधिकारियों के जिम्मे छोड़ दिया जाता है। ये अधिकारी पहले से ही कई अन्य जिम्मेदारियों का वहन कर रहे होते हैं इसलिए जेंडर एजेंडा को प्रायः वे नजरअंदाज ही कर देते हैं। *यामिनी और नवनीता ने* मालदीव का उदाहरण देते हुए लिखा है कि वहां जेंडर से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व डिप्टी मिनिस्टर रैंक के लोगों के पास है। इस स्तर के अधिकारी इतने व्यस्त होते हैं कि बहुधा जेंडर का मामला उनकी लिस्ट में आ ही नहीं पाता है। हालांकि परेशानी अपेक्षाकृत कम छोटे अधिकारियों के सामने भी कम नहीं हैं। कंबोडिया, जहां जेंडर मामलों का जिम्मा डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों के पास होता है, वहां भी इसका पूरी तरह परिपालन नजर नहीं आता है। इन अधिकारियों के सामने परेशानी ये होती है कि जेंडर के मसले मंत्री स्तर तक पहुंचाने के लिए जरूरी तथ्यों को ये अपने वरिष्ठ अधिकारियों से जुटा नहीं पाते हैं।

कई देशों में जेंडर मसले को व्यक्तिगत स्तर तक ही रखा गया है। ये ठीक है कि इसमें एक व्यक्ति की पूरी ऊर्जा और सोच को स्थान मिलता है और काम भी ठीक तरीके से होता है लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी यह है कि जब भी कभी संबंधित व्यक्ति का तबादला होता है तो पूरे काम को फिर से नये सिरे से शुरू करना पड़ता है। दूसरी ओर भारत जैसे देश में जहां जेंडर बजट सेल का गठन किया गया है, समूह में काम को बांटने की प्रणाली के कारण बहुधा काम नहीं हो पाता है।

गौर कीजिए

महिलाओं को घर के कामों में तीन घंटे ज्यादा, बच्चों व बुजुर्गों की देखभाल में दस गुना ज्यादा और बाजार में चार घंटे तक ज्यादा समय देना पड़ता है।

विश्लेषण

जेंडर के लिए बजट को छानें

बजट निर्माण के दौरान लैंगिक भेदभाव किस हद तक प्रचलित है इसको जानने की कोशिश है जेंडर बजट। लोकतंत्र के विस्तार और अधिकाधिक पारदर्शिता स्थापित करना ही इसका लक्ष्य है। 90 के दशक में जब जेंडर बजट को परिभाषित किया जा रहा था तो महिला और लैंगिक भेदभाव संबंधी मुद्दे तेजी से शोहरत पाने लगे थे और कई विद्वानों ने भी इन्हें अपनाना शुरू कर दिया था। ये वो समय था जब विकासशील देशों में आर्थिक नीतियां बदल रही थीं और उन योजनाओं को स्थान मिलने लगा था जिनसे महिलाओं की स्थिति में तेजी से सुधार होने की गुंजाइश दिखती थी। हालांकि उन दिनों कई ऐसी योजनाएं मुंह के बल भी गिरीं जिनकी सफलता की शत प्रतिशत उम्मीद जताई जा चुकी थी।

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जब बजट का निर्माण किया जा रहा होता है तो विश्लेषक उस बजट के विवेकपूर्ण होने, उसके संभावित प्रभावों, उसके लाभ और हानियों पर विचार कर रहे होते हैं। बीते दिनों में एक नई अवधारणा सामने आई 'जेंडर बजट'। कमोबेश एक रहस्यमयी अवधारणा, जो यह बताती है कि राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय या स्थानीय बजटों में महिलाओं को कितना स्थान मिला। सवाल है कि जेंडर का वित्त मामलों से क्या संबंध है? जैसा कि हम जानते हैं कि बजट में बताए गए खर्चों का बोझ आम आदमी उठाता है जिसके बदले में सरकार योजनाओं और परियोजनाओं के जरिये उन्हें लाभ पहुंचाती है। यहां नीति निर्धारक यह सुनिश्चित करते हैं कि योजनाओं का लाभ उस विशेष वर्ग तक पहुंच जाये जिसके लिए उसे बनाया गया है। वो देखते हैं कि योजनाओं को लागू करने के लिए कौन-कौन से वित्तीय तंत्र इस्तेमाल किये गये हैं और उसका भार हर वर्ग पर समान रूप से पड़ रहा है या नहीं। पूरे निर्णय का कुछ अच्छा असर होता है तो कुछ बुरा। चूंकि समाज का निर्माण भी लैंगिक असमानता के आधार पर किया गया है तो जाहिर है कि योजनाओं का प्रभाव भी महिला और पुरुषों दोनों पर अलग-अलग पड़ता है। उदाहरण के लिए हमारे देश के वैसे माता-पिता जो गरीब हैं अक्सर अपनी बेटी के इलाज पर खर्च करने से हिचकते हैं जबिक बेटों के साथ वे ऐसा नहीं करते हैं। इस जगह पर सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है और ऐसी योजनाओं को लागू करती है जिसके जरिये इलाज का मौका आने पर बेटियों को भी ज्यादा लाभ मिल सके। इसी तरह जब करों का मामला आता है तो चूंकि भारतीय महिलाएं ज्यादातर असंगठित और अव्यावहारिक क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं इसलिए उन्हें बहुधा करों के दायरे में लाया ही नहीं जाता है। लेकिन जब खाद्यान्न सब्सिडी में कटौती की बारी आती है तो महिलाएं ही सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं क्योंकि पुरुषों की तुलना में वे ज्यादा वंचित और गरीब होती हैं। जेंडर बजट इन्हीं असमानताओं और विभेद को मिटाने की कोशिश है जो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के अस्थि-मंजर तक समा चुकी है।

क्या ये कोशिशें मुकाम तक पहुंचती हैं ? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर है कि आप किस तरह का मुकाम चाहते हैं। अगर बजट को जेंडर के नजरिये से देखे जाने के कारण लैंगिक समानता की दिशा में कोई सकारात्मक पहल होती है तो हम उसी को जीत मान सकते हैं। लेकिन अब तक की प्रगति को देखते हुए लगता है कि अभी मीलों चलना बाकी है। सच तो ये है कि बजट स्वयं कुछ नहीं बदल सकते हैं बल्कि सुशासन के लिए कई संस्थाओं का साथ चलना बड़ी शर्त होती है। महिलाओं की प्रगति के लिए उदार नजरिया, कार्य में लगे तंत्रों और कार्यक्रमों और परियोजनाओं को बनाने और उन्हें लागू करने की सोच यह तय करती है अंततः कोई सुधार होने वाला है या नहीं। एक लोकतांत्रिक समाज में यह जरूरी है कि पहले से स्थापित गुटों के बजाय ज्यादा नये समूह सामने आएं और ऐसी आवाज पैदा करें कि जिससे जनआंदोलन खड़ा हो जाए। और ऐसी ही एक समूह महिलाएं भी हैं।

निर्मला बनर्जी

(प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज, कोलकाता)

मैत्रेयी कृष्णराज

(पूर्व निदेशक, रिसर्च सेंटर फॉर वीमेन्स स्टडीज, एसएनडीटी वीमेन्स यूनिवर्सिटी, मुंबई। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और कई किताबों की लेखिका)

गौर कीजिए

यूरोपीय यूनियन में 25 फीसद महिलाओं के काम न करने के पीछे घर की जिम्मेदारियां कारण बनती हैं जबकि ऐसे पुरुष केवल तीन फीसद हैं।

विश्लेषण

एक पवित्र और अस्पृश्य वित्तीय दस्तावेज जिसका महिलाओं और उनके समर्थकों से दूर-दूर तक कोई नाता न रहा हो, आखिरकार अचानक जेंडर जैसे विषय से कैसे जुड़ गया, यह किसी के लिए भी कौतूहल का विषय हो सकता है। कहां से आया यह विचार ? दुनिया भर से प्राप्त होने वाले मानव विकास सूचकांक और साथ ही जेंडर विकास सूचकांकों के अध्ययन के बाद यह तो सर्वविदित हो गया है कि स्त्री और पुरुष के बीच आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृतिक असमानता दुनिया के हर कोने और विशेषकर भारत में पाई जाती है।

1979 में महिला अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय बिल (सीईडीएडब्ल्यू) पारित किया गया था और भारत ने भी 1981 में इस बिल के प्रावधानों को स्वीकार कर लिया था। हाल के वर्षों में 1995 में बीजिंग में महिलाओं के मुद्दों को लेकर एक सम्मेलन हुआ जिसमें बारह बिंदुओं की पहचान कर उन पर काम करने की जरूरत बताई गई। इन बिंदुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण थे उनमें गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और शिक्षा में स्त्री-पुरुष की खाई को कम करना, संपत्ति का अधिकार और रोजगार के अवसरों तक महिलाओं की पहुंच आसान बनाना शामिल रहे। इसी तरह यूनाइटेड नेशन्स और अन्य अंतराष्ट्रीय एजेंसियों ने समय-समय पर कन्वेंशन कर इस मुद्दे को जागृत बनाए रखा है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में जेंडर को लेकर दुनिया भर के देशों में किये गये कामों पर गहरा असंतोष जताते हुए देशों को मूलभूत सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने को कहा गया जो कि सीधे तौर पर महिलाओं और बच्चों से जुड़े होते हैं। यूएन और अन्य एजेंसियों के लगातार काम करते रहने के कारण ही आज 40 से ज्यादा देशों में जेंडर बजट पर ध्यान दिया जाने लगा है। जेंडर बजट विश्लेषण उन बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाता है जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। यह महिलाओं को सरकार की मौजूदा नीतियों की पूरी जानकारी देता है जिससे लैस होकर महिलाएं नीति निर्धारकों से सवाल कर सकती हैं और अपने पक्ष में नीतियों को मोड़ने के लिए उन पर दबाव बना सकती हैं। एक तरह से जेंडर बजट की प्रक्रिया लोकतंत्र को ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए सशक्त हथियार है। नजरिये में आए इस बदलाव ने राज्यों की आर्थिक नीतियों में कई स्थायी और महत्वपूर्ण बदलाव भी किये हैं। विकासशील दुनिया की विदुषी महिलाओं ने नीति निर्माताओं के साथ बातचीत और तर्क का लंबा समय बिताने के बाद आर्थिक नीतियों के गरीब महिलाओं पर पड़ने वाले असर के बारे में समझाया है। नई आर्थिक नीतियों के सामने आने के बाद जिन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है उनमें रोजगार और वेतन में समानता महत्वपूर्ण है। अब आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर वित्त मंत्रालय आम बजट बनाता है जिसमें सामाजिक सेक्टर और आधारभूत संरचनाएं केंद्र में होती हैं। धीरे-धीरे बजट की प्रक्रिया इतनी जटिल होती चली गई कि महिला आंदोलन से जुड़े लोगों को लगने लगा कि पूरी प्रक्रिया पर नजर रखना अब आसान नहीं है। बजट नीतियों के बदलते ट्रेंड पर चिंता तब सामने आने लगी जब अध्ययनों से इस बात का खुलासा हुआ कि 90 के दशक के आर्थिक सुधारों का महिलाओं पर प्रतिकूल असर हुआ। इन सुधारों की वजह से जो अच्छा हुआ वह जीवन दर में वृद्धि के रूप में देखने को मिला लेकिन साथ ही साथ जहां आम लोगों की आर्थिक निर्भरता बढ़ती चली गई वहीं बालिकाओं की स्थिति में लगातार गिरावट सामने आने लगी। ऐसे में यह सवाल सिर उठाने लगा कि आम लोगों का पैसा आखिर किसके लाभ के लिए और कहां लगाया जा रहा है। महिला समूहों की ओर से आवाज आने लगी कि "हम विकास के उस मॉडल का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसे हमने स्वीकार नहीं किया है।"

दुनिया के और दूसरे देशों की तरह भारत में भी वर्ष 2001 में सीता प्रभु और कल्याणी मेनन ने सबसे पहले आम बजट के विश्लेषण की कोशिश की थी। हालांकि यह बेहद प्रारंभिक विश्लेषण था लेकिन इससे इतनी समझ तो जरूर विकसित हुई कि आम बजट से महिलाओं को भी कुछ जरूर मिलना चाहिए। यूनीफेम ने दक्षिण एशिया में इसी विषय पर एक महती परियोजना शुरू की तो कोलकाता स्थित महिला संगठन सचेतना ने जाधवपुर

हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में जेंडर को लेकर दुनिया भर के देशों में किये गये कामों पर गहरा असंतोष जताते हुए देशों को मूलभूत सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने को कहा गया जो कि सीध तौर पर महिलाओं और बच्चों से जुड़े होते हैं। यूएन और अन्य एजेंसियों के लगातार काम करते रहने के कारण ही आज 40 से ज्यादा देशों में जेंडर बजट पर ध्यान दिया जाने लगा है। जेंडर बजट विश्लेषण उन बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाता है जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है।

गौर कीजिए

विकासशील देशों में वैतनिक और अवैतनिक कामों को जोड़ दिया जाय तो कम शिक्षा और अवसर मिलने के बाद भी महिलाएं ज्यादा काम करती हैं।

विश्लेषण

स्कूल ऑफ वीमेन स्टडीज के साथ मिलकर जेंडर बजट की अवधारणा और दक्षिण एशिया में इसकी स्वीकार्यता विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया (बनर्जी 2002, सिन्हा 2002)। यूनीफेम की परियोजना के तहत पहला सबसे गंभीर विश्लेषण नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) द्वारा किया गया। इंस्टीच्यूट ने अपने विश्लेषण के बाद जेंडर के आधार पर संसाधनों के आवंटन का एक उपयोगी मॉडल विकसित किया। हालांकि बाद के वर्षों में एनआईपीएफपी के विश्लेषण और मॉडल इस विषय में जागरूकता बढ़ा पाने में बहुत कामयाब नहीं हो पाये। बहरहाल 2003 में बनर्जी और रॉय ने बजट रुझानों पर एक गहन अध्ययन किया जिसमें पश्चिम बंगाल के बजट के विस्तृत अध्ययन के साथ-साथ देश के 15 बड़े राज्यों के बजट का विश्लेषण किया गया था। इस अध्ययन ने राज्यों द्वारा अपने बजट में महिलाओं के पक्ष में किये गये आवंटनों और प्रावधानों को जानने और योजनाओं को जांचने का ज्यादा अर्थपूर्ण तरीका प्रस्तुत किया।

समय के साथ-साथ देश में जेंडर बजट को स्थापित करने और सरकारों के मन को जांचने के लिए अध्ययनों और शोधों की संख्या में वृद्धि होती गई है। दिशा (डेवलपमेंट इनीशियेटिव फॉर सोशल एंड ह्यूमेन एक्शन) ने 1995-2000 के बीच गुजरात में बजट को लेकर सरकार के रुझानों का अध्ययन किया। इसी तरह बेंगलुरू के सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी ने बजट विश्लेषणों के लिए एक डाटा बैंक का विकास किया है। मुंबई के सेंटर फॉर बजट स्टडीज (विधायक सांसद) ने नीति स्तर पर सामाजिक वकालत के लिए 'समर्थन' नाम के कार्यक्रम को आरंभ किया है। इसने राज्यों के बजट का अध्ययन कर कई खामियों को उजागर किया है। बेंगलुरू के आईएसएसटी ने निचले तबके की महिलाओं की जरूरतों को जानने की कोशिश की है और तदनुसार बजट निर्माण पर बल दिया है (भट्ट 2003)। यूएनडीपी ने गुजरात और महाराष्ट्र में सेक्टर आधारित अध्ययन करवाए हैं तो वहीं केरल में पंचायत योजना के अलावा घर में काम करने वाले लोगों (यथा महिलाएं) पर नीतियों में होने वाले बदलाव का असर जानने की कोशिश की है। मुंबई विश्वविद्यालय की विभूति पटेल (2003) ने हर योजना के दस्तावेज की जांच कर महिलाओं के लिए उनमें किये गये आवंटनों और उसके पीछे के उद्देश्यों का पता लगाया है। इन सबके अलावे देश में असंख्य ऐसे अध्ययन हुए जो कहीं न कहीं से बजट में महिलाओं के स्थान की खोज करते हैं। तमाम अध्ययनों में जो सवाल उठाया गया वो मुख्यतः यह रहा कि आखिरकार अच्छी मंशा से शुरू की गई सार्वजनिक योजनाएं अक्सर विफल क्यों होती रहीं। प्रभाव आधारित शोधों में हमेशा योजनाओं के स्वरूप और नतीजों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता रहा जबकि योजना अपने लक्ष्यों को पूरा क्यों नहीं कर पाई इस पर ज्यादा काम नहीं किया गया। इसलिए बाद में अध्ययनों ने एक बिल्कुल अलग तरीके पर काम करना शुरू किया और इसके तहत बजट निर्माण के एक-एक बिंदु पर ध्यान दिया गया, शुरू से लेकर आखिर तक।

लगातार शोधों और अध्ययनों का जो सबसे अहम और निश्चित परिणाम सामने आया वो यह रहा कि बजट दस्तावेजों के बारे में सटीक और सुलझी हुई जानकारी प्राप्त होने लगी। हालांकि यह भी मानना होगा कि कोई भी शोध इस मुद्दे पर एक समान और स्पष्ट पकड़ नहीं बना पाया और न ही इसके लिए कोई मानक तरीके का ही निर्माण कर पाया। अध्ययन को ज्यादा गहनता प्रदान करने के लिए तंत्रों और स्रोतों के इस्तेमाल पर भी इनमें एकरूपता नहीं बन पाई। ऐसे में कुछ अध्ययन अन्य एजेंसियों द्वारा आंकड़ों को प्राप्त किये बिना महिला आधारित योजनाओं का संग्रहण करने में ज्यादा यंत्रवत हो गये हैं। ऐसे में एक बात जो ज्यादा जरूरी उभर कर आई है कि किसी भी शोध को पूरा करने के पहले फील्ड स्टडी किया जाना सबसे जरूरी है ताकि बजट के आंकड़ों का मिलान वास्तविक स्थिति से किया जा सके और संबंधित व्यक्तियों की वास्तविक समस्याओं को जाना जा सके। फिर भी

गौर कीजिए

दक्षिण एशिया में कृषि को छोड़ दें तो 80 फीसद महिलाएं अनौपचारिक रोजगार में हैं।

विश्लेषण

अभी तक जितने शोध और अध्ययन हुए हैं उनके आधार पर हम वर्तमान नीतियों की समालोचना कर सकते हैं मगर इसका मकसद तभी पूरा होगा जब नीति निर्माताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित हो सकेगा और बजट से महिलाएं क्या चाहती हैं और किस रूप में चाहती हैं, इसे सामने रखा जा सकेगा। यह तभी संभव है जब आंकड़े हमारे नियंत्रण में होंगे और नीतियों में होने वाले पक्षपातों को उसके आधार पर सरकार के सामने रखा ज सकेगा। इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा महिलाओं से संबंधित आंकड़ों का पुख्ता और एक जगह न होना है। इसके लिए भी प्रयास शुरू किये जा चुके हैं। सीएसओ जैसी एजेंसियों को आधिकारिक आंकड़े एकत्र करने का काम सौंपा जा चुका है।

जेंडर बजट विश्लेषणों के प्रभावकारी इस्तेमाल के लिए महिला आंदोलनों से जुड़े लोगों, विद्वानों और नीति निर्माताओं के बीच वार्ता होते रहना जरूरी है। ये दो चरणों में हो सकता है : हमें ऐसे चैनलों की जरूरत होगी जो महिलाओं की जिंदगी का वास्तविक अध्ययन करें और सरकार और बजट निर्माताओं से उनकी उम्मीदों को सामने रख सके।

इसके लिए कार्यकर्ताओं को महिलाओं की मांगों को ठोस कार्यक्रमों में बदलने की तकनीक इजाद करनी होगी जिसमें योजनाओं पर आने वाली लागत की भी व्याख्या की जा सकेगी। बतौर उदाहरण, केवल यह मांग करना कि सरकार को तनावग्रस्त विधवाओं के लिए कुछ करना चाहिए, काफी नहीं होगा बल्कि नीति निर्धारकों को समस्या के मूल स्वरूप के बारे में बताना होगा, उसके समाधान के तरीके और आने वाली लागत के बारे में बताना होगा। इसके अलावा, महिलाओं से जुड़े मामलों पर शोध और अभियान चलाने वालों को सरकार की सलाहकार समिति का हिस्सा बनाना होगा। यदि सरकार गरीबी उन्मूलन को लेकर कोई कार्यक्रम

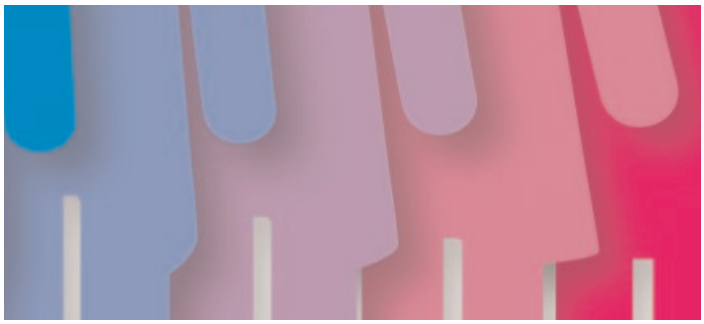

चलाना चाहती है तो न केवल इस कार्यक्रम को चलाने में सरकार की सहायता करनी होगी बल्कि कार्यक्रम के शुरू होने से लेकर उसके कार्यान्वयन तक के हरेक चरण में सहभागी बनना होगा।

बहरहाल, बड़े निवेश वाली परियोजनाओं के तहत कई छोटी-छोटी उप योजनाएं भी शामिल होती हैं और इनके बारे में निर्णय लेना आसान और लचीला होता है। उदाहरण के लिए, कानून व्यवस्था के लिए बजट बनाए जाने के दौरान कई तरह की सेवाएं और सुविधाएं बहाल की जा सकती हैं। यह संभव है कि वीआईपी की सुरक्षा में बड़ा खर्च करने की बजाय उसी राशि का इस्तेमाल सड़कों पर पेट्रोलिंग में किया जाय ताकि महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसी घटनाएं कम हो सकें। आम लोगों के पैसों को इस तरह की सुविधाओं और सेवाओं पर खर्च करके महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया जा सकता है। योजनाओं की आरंभिक अवस्था में ही सरकार के प्रतिनिधियों को महिला विचारकों और चिंतकों से परामर्श लेना शुरू कर देना चाहिए ताकि योजना को मूर्त रूप देने में सफलता मिल सके और उसे महिला केंद्रित बनाया जा सके।

गौर कीजिए

2013 में दुनिया भर में 46 फीसद पुरुषों के 49.1 फीसद महिलाएं असुरक्षित और कम महत्व के रोजगार में कार्यरत थीं।

विश्लेषण

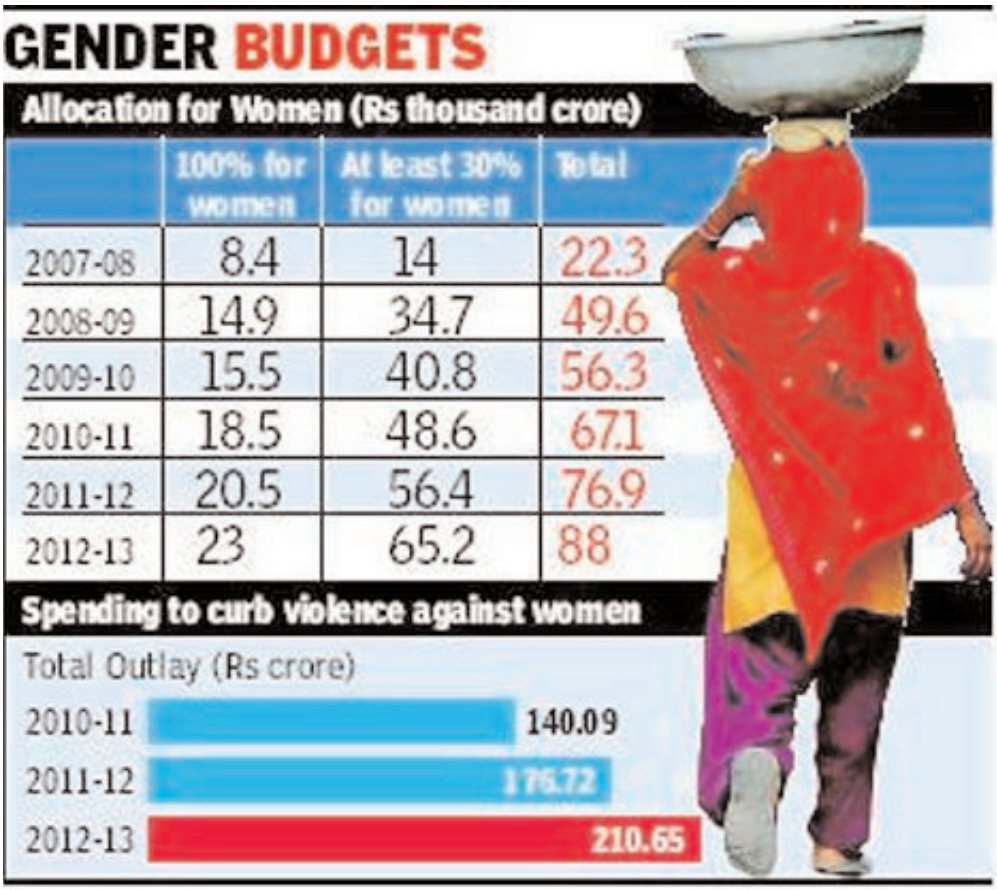

वित्तीय विकेंद्रीकरण के अभाव में पंचायती राज के लिए वित्तीय अनुदान में कटौती कर प्रजातंत्र के विकेंद्रीकरण का मखौल उड़ाया गया है। वित्तीय विकेंद्रीकरण न होने से क्षेत्रीय निकाय निष्क्रिय हो जाएंगे जिससे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसद सीट आरक्षित करने की योजना खोखली भाषणबाजी बन कर रह जाएगी।

बजट 2015-16 : हाशिये पर महिलाएं

2015-16 के यूनियन बजट में कॉरपोरेट सेक्टर को टैक्स में कटौती और रियायतों के माध्यम से सब्सिडी देने की कोशिश की गई है। संपत्ति कर को दो फीसद सरचार्ज से बदलने और कॉरपोरेट टैक्स में क्रमबद्ध कटौती की घोषणा से उद्योगपतियों में जश्न का माहौल है। लेकिन इस सबके बीच अप्रत्यक्ष करों के बोझ से जिसकी कमर टूटने वाली है, वो हैं देश की महिलाएं। बजट में प्रस्तावित मैक्रोइकोनॉमिक उपायों से अर्थव्यवस्था के उपेक्षित और कामकाजी वर्गों पर बुरा असर पड़ सकता है। नवउदारवादी विश्लेषणों के जरिये सामाजिक सेक्टर को ज्यादा आवंटन के नाम पर अपंगता को बढ़ावा दिया जा रहा है। धनी सेक्टरों से अधिक धन उगाही के उपायों पर विचार करने के बजाय रेलवे बजट में पब्लिक-प्राइवेट

प्रो. विभूति पटेल

(पीएचडी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, एसएनडीटी वीमेंस यूनिवर्सिटी, मुंबई तथा डायरेक्टर, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इनक्लूजन पॉलिसी)

पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर का व्यवायीकरण किया जा सके और इसके लिए आम आदमी को ज्यादा पैसा भरना पड़े। बजट में पेंशन और सांसद क्षेत्रीय विकास निधि को भी अन्यत्र स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार अपनी सीधी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सके। वित्तीय विकेंद्रीकरण के अभाव में पंचायती राज के लिए वित्तीय अनुदान में कटौती कर प्रजातंत्र के विकेंद्रीकरण का मखौल उड़ाया गया है। वित्तीय विकेंद्रीकरण न होने से क्षेत्रीय निकाय निष्क्रिय हो जाएंगे जिससे स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 फीसद सीट आरक्षित करने की योजना खोखली भाषणबाजी बन कर रह जाएगी।

गौर कीजिए

दुनिया के ज्यादातर देशों के कानून किसी न किसी प्रकार से महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकते हैं।

विश्लेषण

उपेक्षा उपेक्षितों की

सामाजिक सेक्टर में वित्तीय आवंटन को सरकार ने तेजी से कम किया है। 2014-15 के 16.3 फीसद की तुलना में 2015-16 में महज 13.7 फीसद आवंटन की व्यवस्था की गई है। इसी तरह महिलाओं की जरूरत संबंधी क्षेत्रों में आवंटन को कम किया गया है जबकि महिला एवं बाल विकास के लिए आवंटन को पूर्व के बजट के स्तर पर ही रखा गया है जो कि कुल बजट का 0.01 फीसद है। इस हिसाब से सरकार बजट में महिलाओं को स्थान दिये जाने की अपनी प्रतिबद्धता पर खरी नहीं उतरी है और इसे बजट के कुल खर्च का 3.71 फीसद तक सीमित कर दिया गया है जो कि पिछले यानी 2014-15 बजट में 4.19 फीसद पर था।

जेंडर बजट

2015-16 के केन्द्रीय बजट में पिछले संशोधित बजट की तुलना में महिला और बाल विकास के लिए आवंटन में करीब 50 फीसद से ज्यादा की कमी की गई है। यदि हम निर्भया फंड के लिए आवंटित एक हजार करोड़ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ फंड के लिए तय 100 करोड़ रुपये के आवंटन को जोड़ दें तो भी महिला और बाल विकास के लिए आवंटित कुल राशि में एक-तिहाई की कमी सामने आती है। इस वर्ष जेंडर बजट में 20 फीसद (20 हजार करोड़) तक की भारी कमी लाई गई है। जेंडर बजट में सबसे ज्यादा जिस हिस्से पर जोर दिया गया है वह है प्रजनन एवं बच्चों का स्वास्थ्य जिसका मुख्य मकसद दो बच्चों के सिद्धान्त को कायम करना है।

मनरेगा

अति दरिद्र महिलाओं के लिए मनरेगा एक बड़े सुरक्षा जाल के रूप में सामने आया है। खासकर उन महिलाओं के लिए जो विधवा, अकेली, तलाकशुदा या सिंगल मदर हैं। लेकिन इन महिलाओं के लिए भी इस बार के बजट के बाद जीवन के लिए संघर्ष करना ज्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि मनरेगा के लिए आवंटन में बढ़ोतरी केवल सांकेतिक तौर पर की गई है, इसका प्रत्यक्ष लाभ उन तक पहुंचेगा ही नहीं। जैसा कि वित्त मंत्री ने सदन में कहा था कि मनरेगा योजना को 5 हजार करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया जा सकता है बशर्ते कि सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो।

सामाजिक सुरक्षा

महिला संगठनों की ये मांग रही है कि सभी तरह के उद्योगों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाय। लेकिन अफसोस कि इस बार के बजट में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई नया प्रस्ताव नहीं है, खासकर असंगठित सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं लाया गया है। हालांकि पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और सामाजिक सुरक्षा नेट फंड के जरिये कुछ राहत देने की कोशिश की गई है लेकिन इन्हें भी जितना आवंटन किया गया है वह नाकाफी है। कुछ चरणबद्ध योजनाओं की घोषणा की गई है जिनमें सिंगल वुमेन के लिए

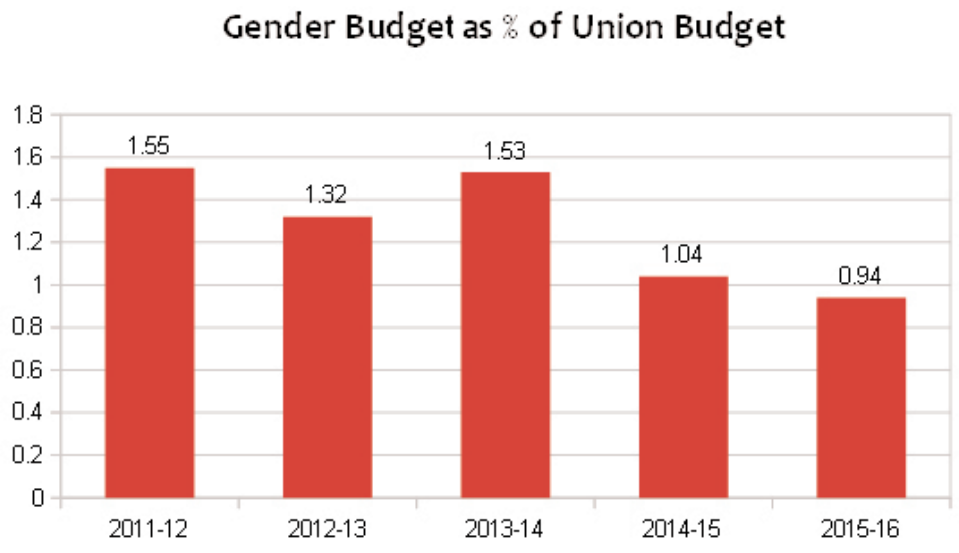

(स्रोत : काउंटरव्यू.नेट)

आधारभूत संरचना

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के लिए 70,000 करोड़ का आवंटन किया गया है लेकिन इस क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए काम करने वाली उन महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं है जो देखभाल करने, खाना पकाने, सफाई करने, ईंधन क जुगाड़ करने, पानी और चारा इकट्ठा करने जैसे कामों को पूरा करती हैं। बिना वेतन के काम करने वाली इन महिलाओं के लिए बजट में राशि आवंटित करने और उसका सही वितरण करने का समय आ गया है।

गौर कीजिए

143 देशों में किये अध्ययन के मुताबिक 90 फीसद देशों में कानून की वजह से महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है।

आश्रय, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की योजना है जिसके लिए 30 करोड़ रुपये का मामूली आवंटन किया गया है। बाल श्रमिकों और कामकाजी महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए किये जाने वाले उपायों में मामूली इजाफा किया गया है। जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है तो एक हजार करोड़ के निर्भया फंड का निर्माण किया गया है। लेकिन पिछले दो साल की प्रगति को देखें तो 2013-14 और 2014-15 के बजट में निर्भया फंड के लिए आवंटित राशि का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि इसके लिए सरकार के पास न तो कोई प्लान है न व्यवस्थित चैनल और न ही इसे चलाने के लिए समुचित मशीनरी।

स्वास्थ्य एवं पोषण

बजट के पहले जारी होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण में जन वितरण प्रणाली की आलोचना करते हुए कहा गया कि जन धन, आधार और मोबाइल नेटवर्क (जाम) के जरिये नकद हस्तांतरण के लिए एक समान योजना अपनाये जाने की जरूरत है ताकि अनाज सब्सिडी कार्यक्रम को भली-भांति लागू कराया जा सके। अब तक के अनुभवों से यही पता लगता है कि महिलाओं को समुचित पोषण उपलब्ध करा पाने में सरकारी योजनाएं फेल रही हैं क्योंकि उन्हें उचित मात्रा में भोजन ही नहीं मिल पाता तो पोषण तो दूर की बात है।

आईसीडीएस और मिड डे मील

यूनियन बजट में आईसीडीएस और मिड डे मील स्कीम के तहत आवंटन को भी आधे से कम कर दिया गया है। पिछले बजट के 16 हजार करोड़ की तुलना में इस बार यह मात्र 8 हजार करोड़ पर आकर रुक गया। हां, सरकार ने आईसीडीएस के आवंटन में 1500 करोड़ की बढ़ोतरी करने का खोखला ऐलान जरूर कर दिया लेकिन वह भी इस शर्त के साथ यदि राजस्व में बढ़ोतरी हुई तो। पिछले साल के संशोधित अनुमान के मुताबिक इस बार सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं के लिए बजट में 17.9 फीसद की कमी कर दी है। बजट में महिलाओं के स्वास्थ्य को केवल प्रजनन क्षमता के आधार पर ही देखा जाता है ऐसे में उनके पूरे स्वास्थ्य की उपेक्षा हो जाती है। इसी तरह बजट में बुजुर्ग महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

शहरी गरीबों के लिए बजट में आवंटन

शहरी गरीबों के आवास के लिए पिछले बजट के 6,008 करोड़ की तुलना में इस बार 5,634 करोड़ ही आवंटित किये गये हैं। ट्राइबल सब प्लान (टीएसपी) के लिए वित्तीय अनुदान भी निर्धारित 8.2 फीसद की बजाय केवल 5.5 फीसद ही दिया गया। ऐसे में पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाय तो इस बार आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए हुए आवंटन में करीब 5 हजार करोड़ तक की कमी कर दी गई है। इसी तरह अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आवंटन निर्धारित 17 फीसद की तुलना में महज 8.34 फीसद ही किया गया, यानी कुल 12 हजार करोड़ तक की कमी कर दी गई। कहा जा सकता है कि शहरों में अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे 380 मिलियन लोगों के हित के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया।

लड़कियों की शिक्षा

लड़कियों की शिक्षा का राग अलापने वाली सरकार ने वर्ष 2015-16 के बजट में उनके साथ अच्छा मजाक किया है। बालिकाओं की स्कूली शिक्षा के लिए जो आवंटन किया गया है वह पिछले साल के संशोधित बजट में अनुमानित राशि से 8.3 फीसद कम है। सर्व शिक्षा अभियान में आवंटन में भी करीब 9.5 फीसद की कमी की गई है। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की है लेकिन उसके लिए महज 100 करोड़ का आवंटन कर पूरी योजना का मजाक बनाकर रख दिया है।

रेल बजट

रेल बजट में महिलाओं की सुविधा का ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। महिला बॉगियों की संख्या बढ़ाने और उनमें पुरुषों को प्रवेश से रोकने के साथ-साथ बॉगियों और रेलवे स्टेशनों पर लाइट और शौचालय की पूरी व्यवस्था करने जैसी सुविधाओं पर ध्यान देना होगा। ज्यादातर राज्यों में महिलाओं और बच्चों के अपहरण की घटनाएं रेलवे स्टेशनों पर ही देखी जाती हैं ऐसे में उनके लिए हर रेलवे स्टेशनों पर ऐसे हेल्प डेस्क की जरूरत है जो 24/7 सक्रिय रहे।

गौर कीजिए

79 देशों के कानून महिलाओं को कई प्रकार के काम करने से रोकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का हकीकत में कोई खास असर नहीं दिखाई देता है। देश में माता और शिशु मृत्यु दर अत्यधिक होने के बावजूद उनकी सुरक्षा और देखभाल के लिए कोई वृहद प्रभावकारी योजना नहीं है और जो है वह अपने लक्ष्यों को पाने में विफल रही हैं। इसी तरह न तो आर्थिक सर्वेक्षणों और न ही आम बजट में महिला किसानों के लिए कोई स्थान निर्धारित किया गया है। बजट में कृषि ऋण पचास हजार करोड़ से बढ़ाकर 8.5 ट्रिलियन करने और सिंचाई और मिट्टी के लिए उम्दा योजनाओं का जिक्र तो है लेकिन खेतों में पसीना बहातीं महिलाओं के लिए कुछ नहीं है।

निष्कर्ष

अंत में यह साफ है कि मेहनतकश गरीबों के लिए जिनमें अत्यधिक संख्या में महिलाएं शामिल हैं, बजट में शायद ही कुछ घोषणा की जाती है। इनके लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

सुरक्षा संबंधी : सबला, स्वाधार-कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए योजना, उज्जवला-तस्करी की शिकार महिलाओं के लिए योजना, हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चों के लिए 24/7/365 दिन के आधार पर काम करने वाले वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, अल्पावधि आवास, कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं

सामाजिक योजनाएं : आईसीपीएस, जेएसवाई, जीआईए, क्रेश, सीएफएनईयूएस, किशोरी शक्ति योजना, किशोरियों के लिए पोषण योजनाएं

आर्थिक योजनाएं : कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमों के संचालन के लिए कर्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी योजना, आदि और स्टेप-लड़कियों के सशक्तिकरण और प्रशिक्षण के लिए सहयोग की योजना तथा कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल।

नियंत्रण संबंधी योजनाएं : महिलाओं के उत्थान के लिए संस्थागत मशीनरी जैसे राज्य महिला आयोग, पुलिस स्टेशनों में महिला सेल और जागरूकता कार्यक्रम आदि तथा चाइल्ड लाइन सेवाएं।

Gender Inequality Index: Rankings for Select Countries, 2012

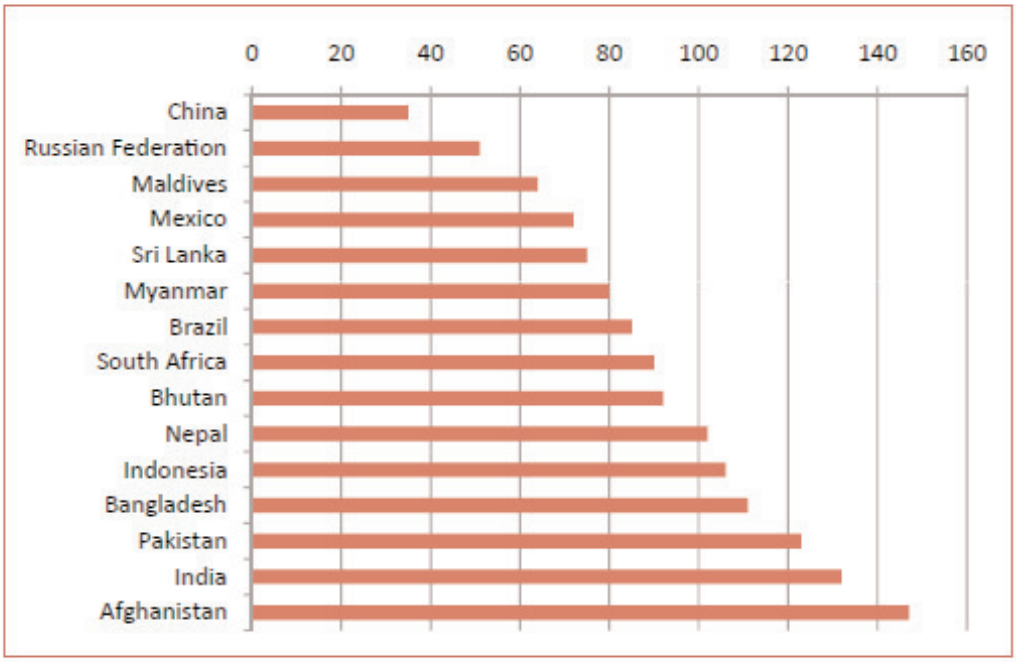

Source: Human Development Report, 2013

गौर कीजिए

15 देशों में पति अपनी पत्नियों को काम करने से रोकते हैं या उनके काम को तय करते हैं।

विश्लेषण

जेंडर नीतियों को बजट आवंटन में बदलना

पिछले दशकों में विकास मुक्त बाजार की नीति पर आधारित रहा। सब्सिडी में कमी और निजीकरण जैसे विचार केन्द्र में रहे। महिला सशक्तीकरण के लिए गठित राष्ट्रीय नीति कहती है कि वैश्वीकरण की नीति ने व्यापक आर्थिक विभेद का निर्माण कर दिया है। गरीबी का स्त्रीकरण, बढ़ता लैंगिक भेदभाव और काम करने के असुरक्षित तरीकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रोजगार की उपलब्धता, उस तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए नीतियों को फिर से निर्धारित करने की जरूरत है। उन्हें फिर से गढ़ने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं की क्षमता और वैश्वीकरण की नीति से उपजे नकारात्मक सामाजिक एवं आर्थिक परिणामों से लड़ने की उनकी ताकत बढ़े। जेंडर सेंसिटीव बजटिंग (जीएसबी) का अवधारणात्मक विकास अभी भी अपने आरंभिक अवस्था में है। खासकर भारत में जहां अभी भी जीएसबी का मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे 'सॉफ्ट' क्षेत्रों में आवंटन करने से है। जबकि जेंडर बजटिंग के लिए सबसे मुश्किल और जरूरी मुद्दा है महिलाओं की वास्तविक स्थिति को जानना और तदनुसार नीतियां बनाना। यही वजह है कि इस अध्ययन में दोनों ही प्रकार के स्तरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है-मैक्रो और मेसो लेवल।

रितु दीवान

(प्रोफेसर एवं निदेशक, अर्थशास्त्र विभाग, मुंबई विश्वविद्यालय)

नीतियों को फिर से गढ़ने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं की क्षमता और वैश्वीकरण की नीति से उपजे नकारात्मक सामाजिक एवं आर्थिक परिणामों से लड़ने की उनकी ताकत बढ़े।

(यह पत्र लेखिका के 'जेंडर बजट पर्सपेक्टिव्स ऑन मैक्रो एंड मेसो पॉलिसीज इन स्मॉल अर्बन मैनूफैक्चरीज इन ग्रेटर मुंबई' प्रोजेक्ट पर आधारित है जो मानव विकास संसाधन केंद्र-यूएनडीपी, नई दिल्ली द्वारा राशि प्रदत्त है।)

इस पत्र का मूल उद्देश्य राज्य नीतियों की प्रतिबद्धताओं और उनके उद्देश्यों की मात्रात्मक और गुणात्मक जांच करना है, जो कि बजट आवंटन, खर्चों और सतह पर के कार्य प्रदर्शन द्वारा परिलक्षित होता है। मैक्रो और मेसो नीतियों के परिणामों की जांच के लिए हमने ढांचागत कार्यक्रमों की शुरुआत से लेकर 10-13 साल तक की अवधि का अध्ययन किया है। इस कार्य के लिए जिन मुख्य दस्तावेजों की पड़ताल की गई उनमें नौंवीं पंचवर्षीय योजना का वीमेन कंपोनेंट प्लान, केंद्र और राज्यों की वीमेन पॉलिसी, महाराष्ट्र सरकार की आठवीं, नौंवीं और दसवीं योजना तथा महिला एवं बाल विकास विभाग का वर्ष 1994-95 और 2004-05 का सिविल बजट शामिल हैं।

नीतिगत प्रतिबद्धता

नौंवीं पंचवर्षीय योजना में अनुशंसित वीमेन कम्पोनेंट प्लान ने महिलाओं को सामाजिक विकास एवं परिवर्तन की वाहक के तौर पर सशक्त बनाने की दिशा में कई रणनीतियों को सामने रखा है। सभी विभागों और सेक्टरों की विकास योजनाओं में से तीस फीसद महिलाओं के लिए आवंटित करने की रणनीति इनमें से सबसे प्रमुख रही। इसके अलावा सुधारात्मक कदम उठाए गए जिनमें रोजगार तक समान पहुंच बनाना, दक्षता विकास और आय अर्जित करने वाले कार्यों को बढ़ावा देना, तकनीकी और बाजार आदि शामिल हैं (सेक्शन 3.8.29)। विशेष ध्यान मजदूरी और स्वरोजगार परक योजनाओं और महिला केन्द्रित घरों तथा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर दिया गया (सेक्शन 3.8.42)। हालांकि हमारे अध्ययन के लिए जो सबसे सटीक बयान था वो यह था "तकनीकी के विकास, बाजार में बदलाव और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के कारण लुप्त हो रहे परंपरागत सेक्टरों की पहचान करने की भी कोशिश की जाएगी। असहाय महिलाओं की दक्षता वापस लाने और उनमें सुधार करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी और मजदूरी तथा लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे परंपरागत क्षेत्रों में स्वरोजगार परक योजनाएं चलाने के लिए तदनुरूप नीतियों का निर्माण किया जाएगा (सेक्शन 3.8.44)। इन सबके अलावा राष्ट्रीय नीति का जो सबसे अहम उद्देश्य था वो यह कि महिलाओं को समान रोजगार, समान वेतन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाय।

महाराष्ट्र देश का पहला राज्य था जहां 1994 में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति की गोषणा की गई। 1998 में इसकी समीक्षा के बाद 2001 में इसे अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। हालांकि राज्य ने अपनी नीति में कई बिंदुओं की पूरी तरह उपेक्षा की है। पूरे दस्तावेज में वैश्विक अर्थव्यवस्था का कोई जिक्र नहीं कर महिलाओं को मैक्रो नीतियों से पृथक

गौर कीजिए

किसी कंपनी में महिलाओं के शीर्ष प्रबंधन में होने से कंपनी की वृद्धि दर अच्छी होती है।

कर दिया गया है। इसके अलावा इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया है कि औद्योगिक रूप से विकसित महाराष्ट्र में ज्यादातर महिलाएं विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं।

महिलाओं के लिए राज्य नीति में जिन तथ्यों की पहचान की गई उनमें से हमने निम्नांकितों की समीक्षा की :

1. *उन सभी विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा जिन्होंने अपने यहां 'महिलाओं को मुख्यधारा में लाने' के चैप्टर की घोषणा की थी।* अफसोस की बात है कि आज तक इनमें से एक भी विभाग ने अपने यहां उक्त सिफारिशों को लागू नहीं किया जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने पिछले दो साल में कई बार विभागों के पास इसके लिए सर्कुलर भी भेजा है। केवल दो विभागों ने अपना जवाब भेजा, वो भी तब जब उन्हें अपने आम बजट को ऑडिट के लिए भेजना जरूरी था। सवाल ये है कि आखिर विभाग महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता कब दिखाएंगे।

2. *विभिन्न विभागों, संस्थाओं और संगठनों के कामों की जनरल ऑडिट किसी बाहरी एजेंसी से कराना।* हालांकि विभागों की ओर से किसी भी तरह के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण ऑडिट कराना मुश्किल हो सकता है। बल्कि कई संगठनों और संस्थाओं को तो राज्य सरकार की ओर से अब तक निर्देश भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

3. *बजट निर्माण की प्रक्रिया के दौरान महिला संगठनों का परामर्श लिया जाना।* वास्तविकता यह है कि किसी भी महिला संगठन को बजट निर्माण के दौरान परामर्श के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। ऐसे में कुछ संगठनों को तो उम्मीद भी नहीं है कि सरकार कभी उन्हें प्रक्रिया में शामिल भी करेगी।

4. *वीमेन कम्पोनेंट प्लान का निर्माण करना।* न तो इस तरह के किसी प्लान की योजना बनी और न ही सरकार के किसी विभाग को ऐसे किसी प्लान के बारे में कोई जानकारी ही है।

5.*महिलाओं और बच्चों के लिए शहरी निधि आवंटन पांच फीसद से बढ़ाकर दस फीसद करना।* असल में दस फीसद तो क्या बीएमसी ने आज तक पांच फीसद शहरी आवंटन तक प्रदान नहीं किया जबकि मुंबई एक मेगासिटी है।

6. *नगरपालिका द्वारा वितरित स्टॉल में से 30 फीसद महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए आरक्षित करना।* मुंबई में गरीबी उन्मूलन के लिए जो सबसे बड़ी योजना बनाई गई है वह है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इस योजना और इसके बाद शुरू नेहरू रोजगार योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 30 फीसद स्टॉल उपलब्ध करवाये गये हैं।

7. *सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों में जेंडर का स्थान।* सच्चाई ये है कि महिलाओं से जुड़े आंकड़ों का उपलब्ध न होना किसी भी नीति के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। वैसे राज्य के संबंधित संस्थान इन आंकड़ों को एकत्र करने के अभियान में जुटे हैं।

महाराष्ट्र के बजट और कार्यक्रमों में जेंडर पॉलिसी के प्रति प्रतिबद्धता

जेंडर बजट विश्लेषण का सबसे कठिन पक्ष प्रतिबद्धताओं को साकार रूप प्रदान करना है। हमने इसकी पड़ताल के लिए आठवीं, नौंवीं और दसवीं परियोजना का अध्ययन किया। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जहां जनवरी, 1993 में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। उसी साल जून में राज्य में महिला एवं बाल विकास आयोग ने भी काम करना शुरू कर दिया था। फिर भी न तो सातवीं योजना (1985-90) और न ही आठवीं योजना (1992-97) के दौरान महिलाओं को लेकर किसी चैप्टर का निर्माण किया गया। जनवरी, 1997 में राष्ट्रीय विकास काउंसिल द्वारा महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक बदलाव के सशक्त एजेंट के तौर पर सामने लाने के आह्वान के बाद भी महिलाओं को महाराष्ट्र की नौंवीं योजना में कोई स्थान नहीं मिला। इतना ही नहीं सरकार ने योजना बनाने की रणनीति, उसके तरीके अथवा रणनीति निर्माण में भी महिलाओं की भूमिका को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। नौंवीं योजना के 64 पेजों की रूपरेखा में भी महिलाएं केवल तीन स्थानों पर इंगित की गई हैं। कृषि सेक्शन (पेज 33) पर महिला बाल समिति, समाज कल्याण के तहत और शारीरिक रूप से विकलांग, ड्रग के शिकार और बच्चों के मामले के तहत महिलाओं का जिक्र किया गया है (पेज 57)। यह अलग बात है कि उद्योग एवं खान सेक्शन के तहत यह कहा गया है "जेंडर जैसे नीतिगत मामलों को सामने लाने में महाराष्ट्र हमेशा अग्रणी रहा है" (पेज 40), तथापि किसी भी नीतिगत मामलों में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं रही है। इसी तरह, महिला एवं बाल कल्याण (पीपी 407-412) के पूरे चैप्टर में केवल एक जगह महिला मुद्दे का जिक्र किया गया है-माइक्रो क्रेडिट और स्व रोजगार के तहत लेकिन वह भी बहुत आरंभिक तौर पर।

इस तरह दसवीं योजना में केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों ने महिलाओं के लिए की गई प्रतिबद्धताओं के प्रति पूरी उपेक्षा दिखाई है। दसवीं योजना (2002-07) और वार्षिक योजना (2002-03) के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा सितम्बर, 2001 में निर्धारित आठ प्राथमिकताओं में से एक भी महिलाओं से संबंधित नहीं था। महाराष्ट्र की दसवीं योजना में भी महिलाओं को विशेष सामाजिक वर्ग में रखा गया जिसमें विकलांग और अन्य वर्गों को

गौर कीजिए

अध्ययन के मुताबिक जिस कंपनी में तीन या अधिक महिलाएं शीर्ष पद पर होती हैं, वहां हर क्षेत्र में तरक्की ज्यादा होती है।

रखा जाता है।

जून, 1993 में महिला एवं बाल विकास विभाग के गठन के बाद वार्षिक योजना के तहत पहली बार विभाग का जो बजट बनाया गया वह 60 करोड़ की मामूली रकम का था। इसमें भी दो-तिहाई राशि वार्षिक योजना के अंतर्गत थी जबकि बाकी नन प्लान वर्ग में थी। बाद में संशोधित अनुमान जारी होने पर 8 करोड़ राशि और जोड़ी गई जबकि वास्तविक खर्च इससे दो गुना ज्यादा हुआ। जहां एक ओर राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए आवंटन को हर साल बढ़ाने का वादा किया था वहीं इसके विपरीत हर साल आवंटन घटता ही चला गया। पहले दो सालों को छोड़ दें तो 1998-99 में सबसे खराब स्थिति रही जब 175 करोड़ की राशि आवंटित करने का वादा किया गया लेकिन असल में उसका 45 फीसद भी नहीं मिल पाया। हालांकि संतोष की बात ये है कि पिछले कुछ सालों में वादा करने और तोड़ देने की इस प्रवृत्ति में बदलाव दिखने लगा है। 2003-04 में 300 करोड़ के बजट अनुमान में 96.5 फीसद आवंटन कर स्थिति को सुधारा गया है। बाद के वर्षों में भी महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए बजट आवंटन में बढ़ोतरी के बाद यह माना जा सकता है कि महाराष्ट्र ने जेंडर मुद्दे को कुछ हद तक गंभीरता से लिया है। 11 साल के दौरान आवंटन में नौ गुना बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह विभाग ने भी इस राशि के इस्तेमाल में ज्यादा सुधार प्रदर्शित किया है। केवल वर्ष 1999-2000 को छोड़ दिया जाय तो, बाकी हर साल विभाग ने आवंटन से दोगुनी राशि खर्च की जो नन प्लान वर्ग से प्राप्त हुई। लेकिन जब अन्य मुद्दों की तुलना में महिला मुद्दों पर महाराष्ट्र सरकार की गंभीरता का अध्ययन किया गया तो पाया कि पिछले एक दशक में सरकार का इस दिशा में खर्च वहीं का वहीं रहा, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके लिए कुल योजना खर्च में से महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए किये गये वास्तविक योजना खर्च का आकलन किया गया। विभाग पर वास्तविक योजना खर्च 2 फीसद रहा जो 1994-95 की तुलना में महज 0.1 फीसद अधिक है। महिलाओं से जुड़ी एक और समस्या उन्हें बच्चों के साथ जोड़ कर देखना है। ऐसे में यह जरूरी है कि केवल महिलाओं पर हुए खर्च को बच्चों से अलग करके देखा जाय। यह ठीक है कि वर्ष 1994-95 और 2004-05 के बीच महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत महिला कल्याण के लिए आवंटित राशि में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है फिर भी पूरे बजट की कुल राशि के अनुपात में इसमें भारी गिरावट हुई है जो 11 फीसद से 3.7 फीसद तक आ गया है। इसी तरह संशोधित अनुमान में भी गिरावट देखी गई है।

निष्कर्ष

असल में मुख्य मुद्दा केवल यह नहीं है कि महिला एवं बाल विकास विभाग को कम आवंटन किया गया बल्कि महिला सशक्तीकरण की प्रकृति को लेकर विभाग की प्रवृत्ति भी है। विभाग के दस साल के सिविल बजट पर गौर करने के बाद यह पता लगता है कि आवंटन का बड़ा हिस्सा बच्चों पर खर्च किया गया। इसके बाद बची राशि में से कुछ विशेष वर्ग की महिलाओं पर भी बड़ा खर्च किया गया जिनमें देवदासी, निष्कासित और असहाय महिलाएं शामिल हैं। नतीजतन केवल दो फीसद राशि ही वास्तविक रूप से महिलाओं की आर्थिक सशक्तीकरण में लग पाती हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बयान तो बड़े-बड़े दिये जाते हैं लेकिन हकीकत में उनमें से कुछ ही धरातल पर उतर पाती हैं। जहां कुछ काम किये भी गये हैं वहां भी महिलाओं, खासकर मजदूर महिलाओं की असल समस्या से कोई लेना-देना नहीं है।

गौर कीजिए

विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में महिला कार्यबल 47 फीसद से ज्यादा होता है।

रोचक

बजट की कुछ रोचक जानकारियां

-1957 में कृष्णामाचारी के बजट में पहली बार प्रत्यक्ष आय (वैतनिक और व्यवसाय) तथा परोक्ष आय (ब्याज और किराया) का जिक्र किया गया

-1958-59 में पेश किये गये बजट के दौरान जवाहर लाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिनके पास वित्त मंत्री का भी प्रभार था।

-मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे ज्यादा दस बार बजट पेश किया है। अपने दूसरे कार्यकाल में जब वे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों के प्रभार में थे तब उन्होंने पांच वार्षिक और एक अंतरिम बजट पेश किया था।

-मोरारजी देसाई ने 1959-60 से लेकर 1963-64 तक हरेक साल का बजट पेश किया और साथ ही 1962-63 में अंतरिम बजट भी रखा।

-वित्त मंत्री के तौर पर टी टी कृष्णामाचारी ने 1964-65 में पहली बार गुप्त आय को स्वेच्छा से बंद करने की योजना शुरू की।

-1965-66 के बजट में पहली बार काले धन के खिलाफ योजना की शुरुआत की गई।

-1973-74 के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है क्योंकि इस साल 550 करोड़ घाटे का बजट पेश किया गया था।

-मोरारजी देसाई देश के अकेले ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 1964 और 1968 में दो बार अपने जन्मदिन 29 फरवरी को बजट पेश किया।

-इंदिरा गांधी देश की अकेली महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 1970-71 में वित्त मंत्रालय का कार्य संभाला था।

-वित्त मंत्री रहते हुए वी.पी. सिंह ने 1986 में पेश अपने बजट में गरीबों के लिए सबसे ज्यादा रियायतों की घोषणा की। उन्होंने रेलवे के कुलियों के लिए बैंक लोन, रिक्शा वालों तथा चर्मकारों के लिए सब्सिडी तथा लघु उद्योग विकास बैंक बनाने की घोषणा की थी।

-आर. वेंकटरमण अकेले ऐसे वित्त मंत्री हैं जो 1987-92 के बीच देश के राष्ट्रपति भी रहे।

-जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए आम बजट पेश किया।

-1987 में राजीव गांधी ने ही पहली बार कॉरपोरेट टैक्स (आज का न्यूनतम विकल्प टैक्स) लागू किया था।

-1991-92में ऐसा पहली बार हुआ जब अंतरिम बजट और वार्षिक बजट दो अलग-अलग दलों के मंत्रियों ने पेश किया।

-बजट शब्द की उत्पत्ति मध्यकालीन अंग्रेजी शब्द 'बोउगेट' से हुई है जिसका मतलब होता है लेदर बैग।

-भारत में बजट संसद में पेश किया जाता है जिसकी तारीख राष्ट्रपति तय करते हैं। वित्त मंत्री इसे दो हिस्सों में पेश करते हैं जिसमें पहला हिस्सा देश के आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ा होता है जबकि दूसरा हिस्सा करों से संबंधित होता है।

-बजट पेश करने के दिन से सात दिन पहले से बजट पेपर प्रिंट करने वाले कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय में बिल्कुल एकांत में रखा जाता है।

-वार्षिक बजट को वित्त मंत्रालय सामान्यतः फरवरी के अंतिम वर्किंग डे पर प्रस्तुत करता है।

-बजट सरकार के वित्तीय मामलों का सबसे गहन लेखा-जोखा है जिसमें हर स्रोत से राजस्व और खर्च की गणना की जाती है। इसके तहत राजस्व बजट और पूंजी बजट को रखा जाता है और इसमें अगले वर्ष के लिए राजकोषीय अनुमान को भी जगह दी जाती है।

-वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, प्रशासनिक मंत्रालय और कैग आम बजट को निर्धारित करने वाले प्रमुख खिलाड़ी होते हैं।

-देश में पहली बार 7 अप्रैल, 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सत्ता के लिए बजट पेश किया था।

- पहली बार जेम्स विल्सन ने भारत में बजट को पेश किया था।

-बजट भाषण की शुरुआत 1924 में सर बेसिल ब्लैकेट ने शाम को पांच बजे की थी। उनके मुताबिक यह उन अधिकारियों को खुशी देने का तरीका था जो रात भर बैठकर वित्तीय प्रस्ताव तैयार करते थे।

-आजादी के बाद का पहला बजट 26 नवम्बर, 1947 को शाम पांच बजे वित्त मंत्री आर. के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था।

- आजाद भारत का पहला बजट महज साढ़े सात महीने 15 अगस्त, 1947 से लेकर 31 मार्च, 1948 के लिए बनाया गया था।

- 1948-49 में आर. के. षणमुखम चेट्टी ने ही सबसे पहले 'अंतरिम बजट' शब्द का इस्तेमाल किया था। तब से लेकर आज तक छोटी अवधि के बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है।

- गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी, 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था।

-1950-51 का बजट पेश करने के दौरान ही पहली बार योजना आयोग अस्तित्व में आया था।

-1951-52 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर सी. डी. देशमुख ने अंतरिम बजट पेश किया था।

-1955-56 से बजट पेपर हिन्दी में बनाया जाने लगा।

-1994 में मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ते सेक्टरों पर सर्विस टैक्स लगाया था।

-नब्बे के दशक में तीन अंतरिम बजट पेश किये गये। यशवंत सिन्हा ने 1991-92 और 1998-99 तथा मनमोहन सिंह ने 1996-97 में अंतरिम बजट पेश किया था।

-1997-98 में पी. चिदम्बरम द्वारा पेश बजट को ड्रीम बजट कहा गया।

-यशवंत सिन्हा और मनमोहन सिंह ने लगातार पांच बार आम बजट पेश किये।

-वर्ष 2001 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट भाषण का समय शाम पांच बजे से बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया।

-वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी।

गौर कीजिए

पूरी दुनिया में महिला श्रमिकों का पुरुषों के मुकाबले जमीन, बीज व अन्य उपकरणों पर आधिपत्य कम होता है।

पहल

दुनिया भर की औरतों के साथ चलें कदम दर कदम

जेंडर बजट की ओर संयुक्त राष्ट्र की पहल

राष्ट्रीय बजट, योजनाओं और निगरानी में महिलाओं को स्थान देने के प्रयासों को यूएन वीमेन ने हमेशा समर्थन दिया है। क्षेत्र, प्रदेश और देशों की सीमाओं से परे संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के विकास और कल्याण के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने, तकनीकी संसाधनों के निर्माण और अच्छा माहौल बनाने के लिए हरसंभव कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र की अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल तथा विश्व की दूसरी एजेंसियों और संगठनों के साथ सामंजस्य बिठाकर यूएन वीमेन ने पूरी दुनिया में जेंडर बजट के लिए समर्थन जुटाने का काम किया है। यूरोपियन कमीशन, ओईसीडी, यूएन एजेंसियों और कॉमनवेल्थ सचिवालय जैसे जिम्मेदार संगठनों के साथ मिलकर यूएन वीमेन ने जेंडर बजट के मसले को विश्व के शीर्ष मंचों पर उठाया है। यूएन वीमेन की कोशिश जेंडर बजट की प्रक्रिया को ज्यादा कूटनीतिक और स्थायी बनाने की रही है। उसकी इस कोशिश को तमाम देशों ने समर्थन दिया है और इसे लोक वित्तीय प्रशासन में शामिल कर महिला सशक्तीकरण की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है। यूएन की कोशिशों ने महिला मुद्दों के प्रति संवेदनशील माहौल बनाने और सांसदों और अन्य जन प्रतिनिधियों को इससे जुड़ने का मौका प्रदान किया है।

क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर

जेंडर बजट पर यूएन वीमेन स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। इसके अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम जेंडर बजट के प्रसार और इसके प्रति जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। यूएन वीमेन के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि कई देशों ने अपने यहां अलग-अलग प्रोग्राम लांच किये हैं। इनमें सबसे अहम प्रोग्राम लैटिन अमेरिका में शुरू किया गया जहां यूएन वीमेन यूनाइटेड नेशन वालंटियर्स (यूएनवी) और सीपाल (सीईपीएएल) के साथ काम कर रहा है। महिलाओं द्वारा किये जाने वाले अवैतनिक कार्यों और स्थानीय स्तर पर बनने वाले बजट के लिए नीति निर्धारण करने की दिशा में इसका विशेष योगदान रहा है। हाल के वर्षों में सीईई ने अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और मालडोवा में कई गंभीर योजनाओं की शुरुआत की है जो क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले 2009 में यूएन वीमेन के एशिया पैसिफिक और अरब देशों के कार्यालयों ने मिलकर बैंकॉक में एक बैठक की थी जिसमें जेंडर बजट को लेकर क्षेत्रीय तौर पर रणनीति तैयार करने पर चर्चा की गई। इसके बाद अफ्रीकी क्षेत्र जीआरबी पर क्षेत्रीय प्रस्ताव लाने वाला अग्रणी क्षेत्र बना। 2011 के अंत तक यूएन वीमेन 65 देशों में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर जेंडर बजट को लेकर कार्यक्रम चला रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर यूएन वीमेन की कोशिश नीतियों और बजट प्रक्रियाओं को इस तरह बदलने की होती है जिससे की लैंगिक समानता और विशेषकर महिलाओं के प्रति जवाबदेह योजनाओं का सृजन हो सके। इसके लिए वह राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे अलग-अलग पृष्ठभूमि और भूमिकाओं वाले व्यक्तित्वों और संस्थानों के बीच साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति विकसित करने पर जोर देता है। इनमें वित्त मंत्रालय, महिलाओं के लिए काम कर रहे विभिन्न तंत्र, प्रशिक्षण संस्थान, संसद, महिला संगठन और खासकर नागरिक समाजों के लोग प्रमुख हैं जो अपने साझे प्रयास से बजट में महिलाओं की जगह को पुख्ता बना सकते हैं। इसी तरह स्थानीय स्तर पर यूएन वीमेन बजट में महिलाओं के मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से रखने, स्थानीय निकायों में उन्हें जगह दिलाने, जेंडर बजट के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बजट में संसाधनों के समुचित वितरण को सुनिश्चित करने का काम करता है। यरोपीयन कमीशन की मदद से यूएन वीमेन के लोकल लेवल जेंडर रिस्पांसिव बजट प्रोग्राम (एलएलजीआरबी) ने भारत, मोरक्को, यूगांडा और फिलीपींस में गरीबी और लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए क्षेत्रीय योजनाओं को चलाने में सहयोग प्रदान किया है। लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भी पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, मेक्सिको, अर्जेंटिना और ब्राजील में यूएन वीमेन ने स्थानीय कार्यक्रमों को चलाने में मदद दी है।

(स्रोत : जेंडरबजट.आर्ग)

गौर कीजिए

विकासशील देशों में बीस फीसद से भी कम महिला किसान जमीन मालिक हैं।

पहल

मिसाल बना केरल

देश के अन्य राज्यों की तुलना में केरल जेंडर रिस्पांसिव बजट को लागू करने वाला सबसे अलग और सफल राज्य साबित हुआ है। केरल ने अपनी नीतियों से यह साफ कर दिया कि केवल जेंडर बजट स्टेटमेंट जारी कर देने से ही जेंडर बजट का मकसद पूरा नहीं हो जाता है। राज्य ने अपने यहां ऐसे कई उपाय किये हैं जिनसे योजना निर्माण में महिलाओं का स्थान सुनिश्चित हो सके।

सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटबिलिटी (सीबीजीए) की ओर से 2012 में जारी रिपोर्ट 'रिकॉगनाइजिंग जेंडर बाएसेस, रिथिंकिंग बजट्स' में केरल मॉडल को प्रस्तुत किया गया है। सीबीजीए ने अपने अध्ययन में लिखा है कि केरल ने ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे योजना और बजट में महिलाओं को सीधे तौर पर शामिल किया जा सके। यह सत्य है कि विकास के तमाम उपायों के बाद भी केरल में महिलाएं सर्वाधिक उपेक्षित वर्ग में आती थीं। स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतरी के बाद भी सत्ता और कार्यबल में महिलाओं का स्थान अत्यंत निम्न रहा है। ऐसे में इस बात पर ज्यादा जोर रहा कि किस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य में हो रहे सुधार का इस्तेमाल महिलाओं के हित में किया जा सके।

केरल में जेंडर बजटिंग की शुरुआत 1995-96 से देखी जा सकती है जब पीपुल्स प्लान कैंपेन चलाकर हर पंचायत को महिलाओं पर आधारित एक चैप्टर बनाने को कहा गया। इस अभियान का असर दिखा और स्थानीय निकायों को महिलाओं के मुद्दों को समझने, अध्ययन करने और उनका समाधान निकालने की दिशा में मदद मिलती रही। इसके साथ ही राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर एक वीमेन कंपोनेंट प्लान (डब्ल्यूसीपी) की भी शुरुआत की। 1996-97 के दौरान इस प्लान के तहत यह निर्देश दिया गया कि हर विभाग में बनने वाली योजनाओं का दसवां हिस्सा पूरी तरह महिलाओं पर आधारित होना चाहिए। इनमें भी कई योजनाओं को डब्ल्यूसीपी से पूरी तरह अलग रखा गया ताकि इन्हें आम योजनाओं में शामिल नहीं किया जा सके।

सड़क, शौचालय, बिजली और धुआंरहित चूल्हे आदि से जुड़ी योजनाओं को वीमेन कंपोनेंट प्लान से अलग रखा गया क्योंकि इसके लाभार्थी महिला और पुरुष समान रूप से होते हैं। जिला पंचायत व अन्य संबंद्ध विभागों की सहमति से आवास योजनाओं को डब्ल्यूसीपी के तहत रखा जा सकता है केवल उन स्थिति में जबकि परिवार की मुखिया कोई महिला हो और परिवार में कोई वयस्क पुरुष न हो।

इसी तरह सब्जियों की खेती, बकरी पालन या मुर्गी पालन से जुड़ी

योजनाओं को भी डब्ल्यूसीपी से बाहर रखा गया। केवल उसी स्थिति में इन योजनाओं को डब्ल्यूसीपी का लाभ मिलेगा जब यह निश्चित हो कि इसके तहत प्राप्त आय महिलाओं के पूर्ण नियंत्रण में है।

आंगनबाड़ी और प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए फंड और भोजन आपूर्ति योजना को भी डब्ल्यूसीपी में शामिल नहीं किये जाने पर जोर दिया गया है। इस तरह केरल सरकार ने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि महिलाओं के लिए काम करने का मतलब केवल कागजी घोषणा नहीं है बल्कि उनके लिए कार्यक्रम और योजनाओं को चलाकर वास्तव में उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना है।

केरल में वीमेन कंपोनेंट प्लान की सफलता के लिए स्वयं सहायता समूहों और अन्य सामुदायिक और भाइचारे पर आधारित समूहों की मदद ली गई। *अलयम्मा विजयन और मरियम्मा सानू जॉर्ज (निर्मला) ने अपने अध्ययन जेंडर रिस्पांसिव बजटिंग : द केस ऑफ केरल* में लिखा है कि राशि आवंटन का मुख्य जरिया स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 'कुदुम्बश्री' को बनाया गया था। इसके लिए 15-20 फीसद स्थानीय सरकारों को अध्ययन के तौर पर लगाया गया था लेकिन इसका कोई खास फायदा स्थानीय स्तर पर जेंडर बजटिंग को लागू करने में नहीं दिखा। अलयम्मा और मरियम्मा ने अपनी रिपोर्ट में जेंडर बजट के दौरान कई अहम विषयों को अनदेखा करने पर चिंता जताई है। उनके मुताबिक महिलाओं के खिलाफ हिंसा, स्वास्थ्य और शौचालय जैसे मुद्दों पर तो बहुधा आवाज उठाई जाती है और योजनाएं बनाई जाती हैं लेकिन महिलाओं पर काम का अतिरिक्त बोझ, महिलाओं की गतिशीलता, सुरक्षा, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर जोखिम और महिलाओं के साथ काम कर रहे लोगों की संवेदनशीलता जैसे बिंदुओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता है।

गौर कीजिए

141 देशों में हुए अध्ययन के मुताबिक पुरुषों के मुकाबले महिलाएं प्राकृतिक आपदाओं का शिकार ज्यादा होती हैं।

मंजरी
स्त्री के मन की

आगामी अंक

वृद्ध महिलाओं पर विशेष

अपने लेख हमें ई-मेल करें

आप हमें अपने लेख और पत्र ई-मेल भी कर सकते हैं। ई-मेल करने के लिए कृतिदेव फॉन्ट का इस्तेमाल करें और **magazinemanjari@gmail.com** पर भेजें। आपके लेख 1000-1500 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। चूंकि हमारा अगला अंक अक्टूबर, 2015 में प्रकाशित होगा अतः इसे ध्यान में रखते हुए अपने लेख 25 अगस्त तक भेज दें। आप अपने लेख पत्रिका की वेबसाइट **www.emanjari.com** के माध्यम से भी भेज सकते हैं।

मुख्य संपादक
नीना श्रीवास्तव

Thought-provoking classic books which touches different facets of women in our society!

SAGE | 50 YEARS

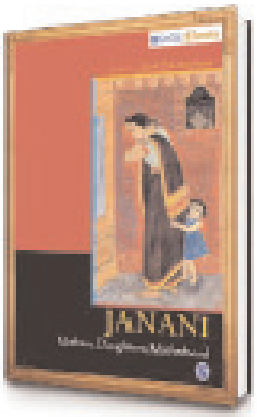

Motherhood is a phenomenon of 'infinite variety' though, not infrequently, 'staled' by 'custom'

JANANI-MOTHERS, DAUGHTERS, MOTHERHOOD

Edited by **Rinki Bhattacharya**

Janani, or mother as the creator of life, defines this narrative collection. The book brings together autobiographical writings of women from many walks of life—noted authors, artists, academics—to share their experiences of being mothers, daughters, or both. The accounts combine memory and nostalgia in nuanced detail, making each narrative heart-warming and, at times, profoundly challenging.

The Janani stories vividly explore the whole gamut of motherhood. Immensely readable, the volume has a wide appeal—not just for mothers and daughters, but for fathers and sons as well; in fact, for all those who celebrate the rare gift of human relationships.

2013 • 212 Pages • Paperback: ₹ 295.00 (978-81-321-1134-4)

Any traditional custom that places women in subordinate positions within society or in the family has the potential to turn violent.

BEHIND CLOSED DOORS

Domestic Violence in India

Edited by **Rinki Bhattacharya**

To be assaulted, abused and raped by someone as intimate as a husband, or lover, is the most degrading experience for a woman. Not recognized as 'real violence, abuse of this nature is experienced daily by countless women in every culture. Behind closed doors of family, custom, values, traditions that are taken for granted and never questioned-are muffled voices of terror and trauma, which do not reach beyond the threshold nor attract the attention of lawmakers of redress agents.

Edited by a renowned women's rights activist and a former victim of domestic violence, the book takes us inside these closed doors. It puts together the life stories of seventeen women from diverse culture, class, education and religious backgrounds in India who were victims of domestic violence. Apart from being a first person account, this powerful book is a tribute to the courage and determination of women who decided to break their silence. The book will inspire other victims of this 'hidden crime', to speak out, share their plight and change their fate.

2013 • 244 Pages • Paperback: ₹ 295.00 (978-81-321-1026-2)

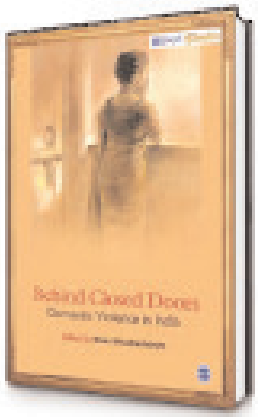

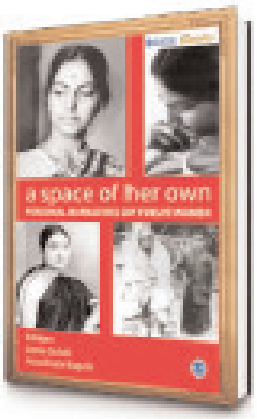

In a society where marriage means a girl leaving her natal family to join another family, this project represents a somewhat subversive voice.

A SPACE OF HER OWN

Personal Narratives of Twelve Women

Edited by **Leela Gulati** and **Jasodhara Bagchi**

Several books have been written about the position of women in India's patriarchal society. This collection of twelve narratives, however, focuses not so much on women's subservient position vis-à-vis men, but on women's relations with each other. With the authors locating their personal struggles within those of three generations of women in their families, these narratives span a period of over 100 years, and intersect both the private and public domains.

Reflecting on the emotional lines of matriliny within the social structure of patriliny, each narrative in A Space of Her Own is a tale of how the author fought to establish her own personhood and create a sphere of autonomy where she is able to make decisions to nurture herself and those around her.

2014 • 284 Pages • Paperback: ₹ 295.00 (978-81-321-1796-4)

Get an exclusive 20% discount!! Write to *marketing@sagepub.in* with code MANJARI2.

www.sagepub.in

Los Angeles • London • New Delhi • Singapore • Washington DC